



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 1 2007/फाल्गुन 10, 1928

No. 85]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 2007/PHALGUNA 10, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2007

सा.का.नि. 115(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम सं. 38) की धारा 124 द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके, केन्द्रीय सरकार, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 123 द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके, मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी-बोर्ड द्वारा बनाए गए और दिनांक 15 सितम्बर, 2005 तथा 22 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. एस ई सी वाई/जी/जी एम-एम एस/एच एफ 145 II/6592 द्वारा महाराष्ट्र की राज्य सरकार के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए एवं "अनुसूची" के रूप में इस अधिसूचना से उपाबद्ध मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट (जोखिम माल के परिवहन, सम्हलाई और भण्डारण) विनियम, 2007 को एतद्वारा, अनुमोदित करती है।

अनुसूची

मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट जोखिमी माल का परिवहन,
सम्हलाई एवं भंडारण विनियम, 2007

भाग-I

1.0 संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

- (1) ये विनियम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जोखिमी माल के परिवहन, सम्हलाई और भंडारण विनियम, 2007 कहलाए जाएं।
- (2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से ये विनियम लागू होंगे।

2.0 व्याप्ति

ये विनियम मुंबई की पत्तन सीमाओं के अंदर, सभी गोदियाँ,

घाट, क्वे बंदर, जेटियाँ, रेल मार्ग, इमारतों पर, मुम्बई पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनायी, प्राप्त की अथवा उसे सौंपी गयी इमारतों एवं अन्य निर्माण कार्यों पर, तथा मुम्बई पत्तन-जो आगे "पोर्ट" कहलाया जाएगा, उसके नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन होने वाली जमीनों और/अथवा तटाग्रों और सभी गोदियों पर लागू होंगे।

- 3.0 इन नियमों में निहित किसी भी बात से व्यावसायिक नौवहन अधिनियम, 1958 (मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958) विस्फोटक अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934, ज्वालाग्रही पदार्थ अधिनियम, 1952, गोदी कामगार (सुरक्षा, आरोग्य तथा कल्याण) विनियम, 1986 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के, तथा नियंत्रणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा दिये गए कोई भी मार्गदर्शक तत्वों के प्रावधानों का महत्व कम नहीं होगा।

4.0 परिभाषाएँ

4.1 बोट

बोट से तात्पर्य है पत्तन के अंदर माल के चलन-वलन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बार्ज अथवा उस प्रकार का अन्य कोई भी जलयान।

4.2 अध्यक्ष

"अध्यक्ष" से तात्पर्य है पत्तन के न्यासी मंडल का अध्यक्ष, जिसमें उस पद का कार्यभार देखने के लिए नियुक्त कोई भी व्यक्ति शामिल है।

4.3 सक्षम प्राधिकारी

इन विनियमों के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी का तात्पर्य है उप संरक्षक जो इन विनियमों के प्रावधानों के प्रबंधन हेतु न्यासी मंडल द्वारा नियुक्त किया गया हो।

4.4 जोखिमी माल

जोखिमी माल से तात्पर्य है, वह माल जो उसके स्वरूप, मात्रा अथवा जिसकी ढुलाई एवं भंडारण की पद्धति के कारण अपने आप में स्वतंत्र रूप से या एकत्रित रूप से जहाज पर, या पत्तन की सीमाओं के अंदर के लोगों के जीवन अथवा स्वास्थ्य को खतरा पहुँचा सकता है अथवा ऐसी पत्तन सीमाओं के अंदर की संपदा को नुकसान पहुँचा सकता है। इसमें रिसेप्टेकल, पोर्टेबल टैंक, फ्रेंट कंटेनर अथवा वाहन में भरा हुआ आयएमडीजी कोड में यथा परिभाषित माल समाविष्ट है, इसमें वे रिक्त रिसेप्टेकल, पोर्टेबल टैंक अथवा वाहन शामिल हैं, जिनका इसके पहले जोखिमी माल ढोने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, ऐसे रिसेप्टेकल आदि जब तक अच्छी तरह साफ किए, सुखाये नहीं जाते या पहले वाले माल का स्वरूप ऐसी सुरक्षित ढुलाई या कंटेनर ठीक से बंद करने के अनुकूल नहीं होता, तब तक वे जोखिमी माल की व्याख्या में शामिल होंगे।

जोखिमी माल में वे निम्न पदार्थ सम्मिलित हैं :

- (i) जिनमें आईएमडीजी कोड में सूचीबद्ध वर्गों में आने वाले गुणधर्म हैं।
- (ii) जो विस्फोटक अधिनियम, 1884 और/अथवा विस्फोटक नियम, 1983 द्वारा की गयी "विस्फोटक" की परिभाषा के अनुसार "विस्फोटक" माने गये हैं।
- (iii) अन्य कोई भी माल जिसके गुणधर्मों के कारण सक्षम प्राधिकारी उसे जोखिमी माल ठहराए।
- (iv) जोखिमी रसायनों का उत्पादन, भंडारण एवं आयात नियम, 1989 के अनुसूची (i) में सूचीबद्ध जोखिमी रसायन।

4.5 निपटान

"निपटान" से तात्पर्य है पत्तन क्षेत्र में जहाज, रेलवे वैगन अथवा किसी वाहन से माल का लदान एवं उतराई, भंडारण क्षेत्र में या वहाँ से और/अथवा जहाज में स्थानांतरण और जहाजों के बीच नौकांतरण तथा अन्य सहायक प्रचालन, इसमें फ्रेंट कंटेनर भरना और खाली करना भी शामिल है।

4.6 आईएमडीजी कोड

आईएमडीजी कोड से तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जोखिमी माल कोड का वह नवीनतम संस्करण, जो, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की समुद्री सुरक्षा समिति द्वारा स्वीकृत किया गया हो और संगठन द्वारा समय-समय पर संशोधित किया हो।

4.7 आईएमओ से तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (इन्टरनेशनल मेरी टाइप ऑर्गनाइजेशन)

4.8 जोखिमी माल निरीक्षक

इन विनियमों के संदर्भ में जोखिमी माल निरीक्षक से तात्पर्य है कि इस पत्तन में आने वाले जोखिमी माल की सम्वलताई/भंडारण/निपटान अथवा परिवहन में इन नियमों

के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया व्यक्ति।

4.9 मास्टर

पत्तन का इस्तेमाल करने वाले किसी भी जहाज के संबंध में "मास्टर" का अर्थ है कुछ समय के लिए उस जहाज का प्रभार अथवा नियंत्रण संभालने वाला व्यक्ति परंतु इसमें पायलट, हार्बर मास्टर, सहायक हार्बर मास्टर, गोदी मास्टर या पत्तन का बर्थिंग मास्टर शामिल नहीं है।

4.10 मालिक

माल के संबंध में मालिक की व्याख्या में ऐसे माल के लदान एवं उतराई की जिम्मेदारी होने वाला अथवा बिक्री करने वाला कोई भी प्रेषक, परेषिती, नौवाहक या एजेंट आदि शामिल है और पत्तन का इस्तेमाल करने वाले जहाज के संबंध में मालिक की व्याख्या में जहाज का कब्जा जिसके पास है, ऐसा कोई भी सह-मालिक (part owner), चार्टरर, परेषिती अथवा अनुबंधक (mortgagee) शामिल है।

4.11 जिम्मेदार व्यक्ति

जिम्मेदार व्यक्ति से तात्पर्य है मालिक और/अथवा मास्टर द्वारा नियुक्त किया गया और जिसे जोखिमी माल के परिवहन, निपटान एवं भंडारण के कामों के संबंध में सारे निर्णय लेने के अधिकार प्राप्त हैं ऐसा उस कार्य के लिए आवश्यक ज्ञान एवं अनुभव होने वाला कोई भी व्यक्ति।

4.12 परिवहन

परिवहन से तात्पर्य है पत्तन में परिवहन के एक अथवा अधिक तरीकों से जोखिमी माल की ढुलाई।

4.13 अस्थिर पदार्थ

अस्थिर पदार्थ अर्थात् वह पदार्थ जो ऐसा खतरा डालने के लिए आवश्यक विशिष्ट पूर्वोपाय (अवरोधन, मंदन (डायल्युशन), प्रशीतन या और उतने ही प्रभावशाली उपाय) नहीं किए जाएं तो नैसर्गिक अभिक्रिया (उदा. पॉलिमराइजेशन, डिक्पोजिशन, आदि) के कारण परिवहन के दौरान अथवा भंडारण स्थिति के कारण जोखिमी सिद्ध हो सकते हैं।

4.14 जहाज

जहाज से तात्पर्य है पत्तन में जोखिमी माल के मुख्यतः जलमार्ग से वहन, ढुलाई और/अथवा परिवहन के लिए बनाया गया जलयान।

4.15 समुद्री प्रदूषक

समुद्री प्रदूषक वे पदार्थ हैं, जो समुद्री खाद्यान में जैविक तौर पर संचेय (bioaccumulable) होने की क्षमता रखने के या जलजीवन के लिए विषाक्त होने के कारण उन्हें मारपॉल 73/78 (जहाजों से हो रहे प्रदूषण को रोकने के अंतर्राष्ट्रीय समझौता 1973/78) यथासंशोधित, के अनेक्स-III के प्रावधान लागू हैं।

- 5.0 जोखिमी माल का वर्गीकरण :
- इन विनियमों के संदर्भ में जोखिमी माल को आईएमडीजी कोड पर आधारित निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है ।
- श्रेणी 1 : विस्फोटक
- श्रेणी 2 : वायु
- श्रेणी 3 : ज्वालाग्राही द्रव
- श्रेणी 4.1 : ज्वालाग्राही ठोस
- श्रेणी 4.2 : ज्वालाग्राही ठोस या सहज दहन हो पाने वाले पदार्थ
- श्रेणी 4.3 : ज्वालाग्राही ठोस या पानी के साथ संपर्क में आने पर ज्वालाग्राही वायु उत्सर्जित करने वाले पदार्थ
- श्रेणी 5.1 : ऑक्सीडीकरण करने वाले पदार्थ
- श्रेणी 5.2 : ऑर्गेनिक पॅरोक्साइड्स
- श्रेणी 6.1 : जहरीले विषजन्य पदार्थ
- श्रेणी 6.2 : औपसर्गिक पदार्थ
- श्रेणी 7 : विघटनाधिक पदार्थ
- श्रेणी 8 : क्षयकारी (corrosive) पदार्थ
- श्रेणी 9 : विविध जोखिम पदार्थ एवं वस्तुएं
- 5.1 सुरक्षा विस्फोटकों, पायरोटेकनीक के और आतिशबाजी के अलावा अन्य किसी भी विस्फोटक की सम्वलाई को मुम्बई पोर्ट में अनुमति नहीं दी जाएगी । इस प्रकार के विस्फोटकों की सम्वलाई के दौरान सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को अवश्य पूरा किया जाए ।
- 5.2 मुंबई पत्तन में विस्फोटकों के निपटान के लिए पूरक नियम विस्फोटक अधिनियम, 1884, विस्फोटक नियम, 1983 के अंतर्गत अधिसूचित है ।
- 5.3 वर्ग 2 से 9 तक जोखिमी माल के निपटान के लिए नियम, इन नियमों के भाग IV में विनिर्दिष्ट है ।
- 5.4 वर्ग 2 से वर्ग 9 के जोखिमी माल के मुंबई पत्तन में निपटान के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएँ अनुसूची I में विनिर्दिष्ट है ।
- 5.5 किसी भी पदार्थ के खतरों का मूल्यांकन यदि आईएमडीजी कोड द्वारा अधिसूचित न हो, तो उसके लिए जहाज मालिक/परेषिता मर्चेंट शिपिंग (जोखिमी माल) नियमों के प्रावधान के अंतर्गत नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार को आवेदन करें ।
- भाग -II**
- 6.0 जहाज का आगमन
- जोखिमी माल उतारने और/अथवा लादने के लिए इच्छुक जहाज का मालिक/एजेंट पत्तन में आने से कम से कम 48 घंटे पहले निम्नलिखित दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।
- 6.1 जोखिमी माल की सम्वलाई के लिए आवेदन पत्र निम्न कागजातों सहित (अनुसूची II में यथावर्णित)
- 6.2 जोखिमी माल (आयात) की सूची (3 प्रतिलिपियाँ)
- 6.3 जोखिमी माल निर्यात की सूची (3 प्रतिलिपियाँ)
- 6.4 जहाज पर कोई परिवहनाधीन पोतभार यदि हो तो उसकी सूची।
- 7.0 अमानत
- माल की सीधी संपूर्ण/लदान अथवा पत्तन में सीमित अवधि के लिए भंडारण की अनुमति दी गयी है ऐसे मामलों में पत्तन प्राधिकारी/एजेंट से निपटान, भंडारण मार्गरक्षा (एस्कॉट) और ऐसे माल का निपटान और लगाए जाने वाला दंड यदि हो तो की अनुमानित लागत के लिए अमानत राशि ले सकता है, इस प्रकार जमा की गयी राशि धारा 8.0 के अंतर्गत जारी अनुज्ञापत्र में दिए गए अनुदेशों के अनुसार माल उचित प्रकार से चढाये/उतार एवं निपटार जाने के बाद वापस की जाएगी।
- 8.0 अनुज्ञापत्र प्रदान करना
- ये दस्तावेज एवं अमानत राशि यदि हो तो प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी मालिक/एजेंट को माल उतारे जाने के तरीके भंडारण, पृथक्करण, आवश्यकताएँ किये जाने वाले उपकरण और कंटेनर माल के संबंध में पत्तन और/अथवा जहाज की सुरक्षा से संबंधित अन्य शर्तों के बारे में विनिर्दिष्ट निर्देश देगा ।
- सक्षम प्राधिकारी कंटेनर भरे/खाली किए जाने के लिए जगह/डिपोज भी निश्चित करेगा ।
- 9.0 माल निपटान का प्रारंभ
- 9.1 मास्टर अनुसूची III में यथानिर्धारित जोखिमी माल जाँच सूची प्रस्तुत करेगा।
- 9.2 सक्षम प्राधिकारी से 8.0 में यथा विनिर्दिष्ट अनुदेश प्राप्त करने के बाद ही तथा जोखिमी माल निरीक्षक को जाँच सूची और मालिक/मास्टर से दिए गए किसी भी अन्य घोषणा पत्र की यथार्थता से पूरी तरह संतोष हो जाने के बाद ही जहाज से जोखिमी माल का निपटान कार्य आरंभ होगा ।
- 10.0 मास्टर की जिम्मेदारियाँ
- 10.1 जोखिमी माल से भरा जहाज पत्तन सीमाओं में होने तक उसके मास्टर उचित ध्वज इस प्रकार लगवायेंगे ताकि वे सबसे स्पष्ट एवं अच्छी तरह से देखे जा सकेंगे :
- (क) सूर्योदय से सूर्यास्त तक लाल ध्वज ; और
- (ख) सूर्यास्त से सूर्योदय तक लाल बत्ती ।
- 10.2 जब भी जोखिमी माल का निपटान किया जाता हो मास्टर—
- संबंधित प्रचालन पर व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षा के लिए किसी जिम्मेदार व्यक्ति को नियुक्त करेगा । वह अधिकारी आईएमडीजी कोड और इन विनियमों के अंतर्गत आवश्यक सारे उचित पूर्वोपाय करेगा अथवा करवाने की व्यवस्था करेगा ।

- अगिनशमन सामग्री हर वक्त सुसज्ज रखेगा। होजेस और ब्रांच पाईप्स जोडे हुए होंगे।
 - जिसके लिए खुलीज्योत/खुलीअग्नि का इस्तेमाल आवश्यक है ऐसा कोई मरम्मत कार्य जहाज के किसी भी हिस्से में नहीं हो रहा है इसकी सुनिश्चिति करेगा।
 - इंजिन रूम के संबंधित अग्नि सावधानी से प्रज्वलित रखेगा और सारी प्रकार की अग्नि अथवा नॉन सेफ्टी बर्तियाँ बुझा देगा।
 - किनारे पर तैनात जिम्मेदार व्यक्ति के साथ तत्पर एवं प्रभावी संपर्क बनाए रखेगा।
 - जब भी आवश्यक हो आयएमओ से प्रकाशित ईएमएस और एमएफएजी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपकरण आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगा तथा उनका उपयोग करेगा।
 - जोखिमी माल के निरीक्षण के लिए पत्तन अधिकारियों को प्रवेश एवं उचित सुविधाएँ प्रदान करेगा।
 - पत्तन के सक्षम प्राधिकारी की स्पष्ट अनुमति के बिना क्षतिग्रस्त/रिसाववाले कंटेनर अथवा जोखिमी माल के पैकेज, बाजों में या किनारे पर उतारे जा नहीं रहे हैं इसकी सुनिश्चिति करेगा।
 - यह सुनिश्चित करेगा कि इस जोखिमी माल के निपटान के लिए कार्यरत मजदूरों ने उचित कार्मिक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया है और यह भी सुनिश्चित करेगा कि उपयोग में लाये जाने वाले कार्यों गियर तथा उपकरण वैसे ही हैं जैसे कि इस प्रकार के माल के सुरक्षित निपटान के लिए आवश्यक है।
 - वह माल उतारने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि सभी जोखिमी माल आईएमडीजी कोड और पोर्ट की आवश्यकतानुसार सही रूप से घोषित किया गया है और उस पर आईएमडीजी कोड के अनुसार सही प्रकार लेबल लगाये गये हैं और चिह्नकित किया गया है।
 - जोखिमी माल का भरण; आईएमडीजी कोड अनुसार या माल के स्वरूप के अनुसार, सुरक्षित और उचित प्रकार से किया जाएगा। असंगत प्रकार के माल को एक दूसरे से अलग रखा जाएगा।
 - यह सुनिश्चित हो कि माल की सम्हलाई शुरू होने से पहले इस विनियम 9.1 में यथानिर्धारित, जोखिमी माल की चेक-लिस्ट पोर्ट अधिकारियों को सौंपी जाएं।
 - जहाज पर, जोखिमी माल के पात्र को अचानक क्षति पहुंचे तो, दुर्घटना टालने हेतु शीघ्र उपाय करने और उचित कार्रवाई करने के लिए मास्टर जिम्मेदार होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सभी अनुदेशों का वह पालन करेगा।
- 11.0 मालिक/एजेंट की जिम्मेदारियाँ
 - 11.1 पत्तन में निपटायी जाने वाला या पत्तन से गुजरने वाला जोखिमी माल चाहे वह कंटेनर में हो अथवा अन्य पैकेजों में हो मालिक/एजेंट संबंधित माल की सत्य एवं सही सूचना देगा।
 - 11.2 पत्तन क्षेत्र में लाए जाने वाले जोखिमी माल के प्रत्येक वर्ग के केसेस/रिसेप्टेकल्स आईएमडीजी कोड में विनिर्दिष्ट पैकेजिंग मानक का कड़ाई से अनुपालन करेंगे। ऐसे केसेस/रिसेप्टेकल्स पत्तन क्षेत्र में खतरनाक माल के निपटान के दौरान योग्य स्थिति में रहेंगे।
 - 11.3 पत्तन के अंदर निपटान के दौरान यदि जोखिमी माल की कोई भी केस या रिसेप्टेकल क्षतिग्रस्त होता है या रिसने लगता है तो उस स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा बताए गए प्रतिबंधक उपाय किये जायेंगे।
 - 11.4 जोखिमी माल की क्षतिग्रस्त केस अथवा रिसेप्टेकल की मरम्मत का अथवा उसमें भरे सामान को पुनः भरने का काम सक्षम प्राधिकारी की देखरेख में तथा जोखिमी माल के वर्गों के लिए लागू विशेष शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
 - 11.5 जोखिमी माल के केस/रिसेप्टेकल पत्तन क्षेत्र के अंदर किसी भी स्थान पर खोले नहीं जाएंगे। सिर्फ सीमा शुल्क विभाग द्वारा नमूना निकलवाने के लिए उचित पद्धति से और इसके लिए सक्षम प्राधिकारी के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में ही खोले जाएंगे अन्यथा नहीं। ऐसी अनुमति आवश्यक प्रतीत होने वाली अतिरिक्त प्रतिबंधों और पूर्व सावधानी के अधीन ही प्रदान की जाएगी।
 - 11.6 जोखिमी माल की केस/रिसेप्टेकल खोलने/बंद करने/मरम्मत करने अथवा नमूने निकालने के लिए चिनगारी उत्पन्न करने वाले उपकरण का उपयोग न करें।
 - 11.7 सारे जोखिमी माल का चिन्हांकन, लेबलिंग तथा पैकिंग आईएमडीजी कोड में निर्धारित किये के अनुसार होगा।
 - 11.8 रिसावग्रस्त, क्षतिग्रस्त अथवा खराब स्थिति में होने वाले सामान का निपटान केवल सक्षम प्राधिकारी के विनिर्दिष्ट अनुदेशों पर ही किया जाएगा।
 - 11.9 जोखिमी माल के निरीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी को या पत्तन के अधिकारी को हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
 - 11.10 माल के निष्कासन से संबंधित सारी औपचारिकताएँ खासकर सीमा शुल्क विभाग से संबंधित जल्द से जल्द पूरी की जाएं ताकि माल की सुपुर्दगी लगभग माल उतारने के तत्काल बाद दी जा सके।
 - 11.11 फ्रेंट कंटेनरों में जोखिमी माल भरने/उनमें से निकाले जाने का काम आईएमडीजी कोड और जोखिमी माल निरीक्षक की सिफारिशों के अनुसार किया जाए।
 - 11.12 अगर सक्षम प्राधिकारी या पत्तन अधिकारियों द्वारा पूछा जाए तो सामग्री सुरक्षा डाटा शीट (एमएसडीएस) या जोखिमी माल के गुणधर्मों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें।

- 12.0 प्रतिबंधक उपायों के बारे में दायित्व
- 12.1 जोखिमी माल के स्टीमर एजेंट/प्रेषक/परेषिती और पत्तन क्षेत्र के अंदर सारे परिसर के अधिभोक्ता अथवा देखरेख कर्ता हमेशा सक्षम प्राधिकारी के बताए और इन विनियमों में निर्धारित किसी भी सुरक्षा पूर्वोपाय का पालन करेंगे अथवा पालन की व्यवस्था करेंगे।
- 12.2 पत्तन क्षेत्र में जोखिमी माल का निपटान या भंडारण किया जाता हो और एजेंट/मालिक/प्रेषक/परेषिती द्वारा दुर्घटना टालने की दृष्टि से पर्याप्त पूर्वोपाय नहीं किये गये हो तो सक्षम प्राधिकारी सुरक्षा के हित में कार्यवाही करेगा और तत्संबंधी आने वाला यथोचित खर्च वह ऐसे एजेंट/प्रेषक/परेषिती के जमा अमानत में से वसूल करेगा। जमा की गई राशि से समायोजित किया जाएगा और यदि वह खर्च जमा की गई राशि पर्याप्त नहीं हैं तो पोर्ट अपना खर्च माल की बिक्री करके वसूल करेगा।
- 13.0 नये पदार्थों की श्रेणियों का निर्धारण
- यदि मालिक/एजेंट किसी ऐसे माल की आयात करना चाहता हो, जो खतरनाक है पर आईएमडीजी कोड में समाविष्ट नहीं है, तब सक्षम प्राधिकारी को ऐसे माल की प्राप्ति के लिए उचित कार्यपद्धति (मोडॉलटीज) की व्यवस्था करने की दृष्टि से पर्याप्त पूर्वसूचना दी जानी चाहिए। पर्याप्त सूचना नहीं दी गई, तो माल को पत्तन में प्रवेश देने से इन्कार किया जा सकता है। यदि ऐसा माल जोखिमी रसायन का उत्पादन, भंडारण और आयात नियम, 1989 की अनुसूची (18) में सूचीबद्ध है, तो मालिक/एजेंट विनिर्दिष्ट अनुमति प्राप्त करेगा और ऐसे माल की प्राप्ति के लिए किये गए सुरक्षा उपायों की सूचना प्रदूषण नियंत्रण मंडल को देगा।
- 14.0 बार्ज मालिक/चालक की जिम्मेदारी
- 14.1 जोखिमी माल वहन करने वाले बार्जों में एक दूसरे से मेल न खानेवाले विभिन्न वर्गों का माल नहीं भरा जाएगा और जहाँ एक दूसरे से मेल खानेवाले दो से अधिक वर्गों का माल भरा जाता है वहाँ विभिन्न वर्गों के माल के बीच पृथक्करण के लिए पर्याप्त जगह रखी जाएगी। प्रत्येक मामले में जोखिमी माल निरीक्षक अथवा सक्षम प्राधिकारी के अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा।
- 14.2 जोखिमी माल वहन करने वाले बार्ज/लाईटर्स के होल्डस तथा डेक के सतह की जगह घर्षण रहित और चिनगारी रहित होगी।
- 14.3 जोखिमी माल वहन करने वाले बार्ज पर खुली बत्ती अथवा खुली आग जलाने की सख्त मनाई है।
- 14.4 किसी भी निर्धारित घाट अथवा पीअर में आस-पास रुकाये गये दो बार्जों के बीच 9.0 मीटर की सुरक्षित दूरी रखी जाएगी।
- 14.5 जहाँ तक व्यवहार्य हो माल के निपटान के समय बार्ज को दोहरा-किनारा न हो।
- 14.6 जोखिमी माल के बार्ज/लाईटर्स का किसी भी घाट अथवा पीअर में रात्रि में रुकना जोखिमी माल के निरीक्षक की निश्चित अनुमति से ही हो सकता है।
- 14.7 बार्जों के साथ-साथ खड़े रहने के लिए शोड अधीक्षक की अनुमति आवश्यक होगी और ऐसे बार्जों के प्रवेश के लिए तथा निपटान की उचित व्यवस्था के लिए उसे पर्याप्त सूचना दी जाएगी।
- भाग III**
- 15.0 सामान्य प्रावधान
- 15.1 सक्षम प्राधिकारी की राय में यदि पत्तन क्षेत्र में संग्रहण के उद्देश्य से या पत्तन क्षेत्र से गुजरने के लिए आये जोखिमी माल की तत्कालीन स्थिति, मात्रा या उनकी वहन पद्धति की स्थिति अथवा पोर्ट क्षेत्र में तत्कालीन स्थिति की वजह से यदि जीवित या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की संभावना हो तो सक्षम प्राधिकारी उस खतरनाक माल को प्रवेश देने से इन्कार कर सकता है।
- 15.2 यदि पत्तन क्षेत्र में होने वाले किसी जोखिमी पदार्थ में अस्वीकार्य जोखिम हो तो सक्षम प्राधिकारी ऐसा पदार्थ अथवा ऐसा पदार्थ रखे गए पैकेट, फ्रेट कंटेनर, पोर्टेबल टेक वेसल अथवा उस पर के वाहन आवश्यकतानुसार किसी अन्य स्थान या समुद्र में हटाए जाने का आदेश दे सकता है।
- 15.3 अयोग्य माल तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक उसकी सुरक्षित यातायात एवं निपटान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शर्तों की पूर्ति नहीं होगी और संबंधितों द्वारा उसे उचित रूप से प्रमाणित नहीं किया जाएगा।
- 15.4 एक समय में केवल एक ही वर्ग के माल का निपटान किया जाएगा।
- 15.5 सक्षम प्राधिकारी की राय में जिस जोखिमी माल से पत्तन की सुरक्षा को खतरा पहुँचने की संभावना हो ऐसा खतरनाक माल वह सुरक्षित पद्धति से नष्ट करता है। जब ऐसा जोखिमी माल इस प्रकार नष्ट किया जाता है तब माल का मालिक/एजेंट किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। जिस जोखिमी माल का निपटान अथवा परिवहन सक्षम प्राधिकारी के अनुदेशों के विपरीत प्रकार से किया गया हो ऐसा जोखिमी माल पत्तन द्वारा हटाया अथवा नष्ट किया जा सकता है और ऐसा करने में आया खर्च मालिक/एजेंट से वसूल किया जाय और यदि यह खर्च उनसे न वसूल किया जा सका तो माल की बिक्री से उसे पूरा किया जाए।
- 15.6 सारे प्रदूषक तथा किसी भी खतरनाक माल के रिसाव के कारण उत्पन्न स्लॉप जहाज पर ही रहने दिये जायेंगे तथा पत्तन के प्रदूषण प्रतिबंधक नियमों के अनुसार सारे उपाय किए जायेंगे।
- 15.7 समुद्री प्रदूषकों का निपटान सक्षम प्राधिकारी निदेशित करेगा। ऐसे प्रदूषक समुद्री पर्यावरण में अथवा समुद्र में नहीं फेंके जाते इसकी सुनिश्चिति के लिए प्रत्येक आवश्यक उपाय किये जायेंगे।

16.0 छूट देने के अधिकारी

16.1 यदि जोखिमी माल के निरीक्षक अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये किन्हीं आदेशों से किसी व्यक्ति को कोई शिकायत हो तो वह उक्त आदेश की तिथि से 15 दिनों के अंदर, अध्यक्ष को अपील कर सकता है। तत्पश्चात् 30 दिनों के अंदर अध्यक्षजी द्वारा उसकी सुनवाई और उस पर निर्णय होगा। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और बाध्यकर होगा।

16.2 अध्यक्ष, सक्षम अधिकारी से परामर्श के बाद किन्हीं अपवादात्मक मामलों में जैसे, रक्षा संबंधी पोतभार के मामलों में; विनियमों के कुछ या सभी प्रावधानों को शिथिल कर सकते हैं; बशर्ते कि इस प्रकार के पोतभार की सम्हालाई करने वाली एजेन्सी सुरक्षा उपायों का पूर्णतः पालन करे और ऐसे माल की सम्हालाई की पूरी जिम्मेदारी उठाए।

17.0 दंड

17.1 किसी भी विनियम का भंग करने वाले व्यक्ति पर 20,000 रुपये का दण्ड लागू होगा उसके बाद भी भंग करना जारी रहे तो जब तक इस प्रकार भंग होता रहेगा, उतनी अवधि के लिए प्रति दिन (या उसका हिस्सा 2,000 रुपये का अलग दण्ड वह मुंपोट्र को अदा करेगा। उपरोल्लिखित दण्ड पोर्ट विनियमों के तहत की जानेवाली किसी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त होगा।

17.2 यदि उल्लंघन जारी रहता है तो सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष जी की सहमति से जहाज को घाट से हटाने की व्यवस्था कर सकता है।

भाग IV

जोखिमी माल सम्हालाई और भंडारण के विनियम

(आईएमडीजी कोड वर्ग 2 से 9)

(आईएमडीजी कोड श्रेणी 2)

18.0 परिभाषा

इस वर्ग में वायु के प्रकार शामिल है।

18.1 वर्ग 2.1 ज्वालाग्राही वायु

18.2 वर्ग 2.2 अज्वालाग्राही; अविषैले वायु

18.3 वर्ग 2.3 जहरीले और विषैले वायु

आईएमडीजी कोड वर्ग 2 की सम्हालाई और सावधानी

19.0 मालिक/एजेंट सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्दिष्ट सभी अनुदेशों का पालन करेगा।

19.1 जहां तक भारत में उत्पादित सिलिंडरों के फेब्रिकेशन, फिटिंग, मार्किंग एवं कलर कोड लेबलिंग की बात है—यदि उनकी क्षमता 1000 लिटर तक हो तो गैस सिलिंडर नियम 1981 में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और क्षमता 1000 लिटर से ऊपर हो तो स्टैंडीक मोबाईल प्रेशर व्हेसलस—(अनफयर्ड)नियम 1981 का अनुपालन किया जाएगा। आयातित सिलिंडरों पर आईएमडीजी कोड

के अनुसरण में सिलिंडर अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) द्वारा स्वीकृत उचित प्राधिकारी द्वारा जांचे और प्रमाणित किए गए हैं यह दर्शाने वाले चिन्ह लगाए जाएंगे।

20.0 गैस भरे सिलिंडर/कंटेनर के वॉल्व उचित प्रकार से बने डिजाईन से/संरक्षित रूप से जोड़ी गयी मजबूत मेटल कॅप उपलब्ध कराके क्षति से सुरक्षित रखे जाएंगे। ऐसी मेटल कॅप और वॉल्व अथवा वॉल्व के किसी हिस्से के बीच किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होगा।

20.1 गैस के सिलिंडर/कंटेनर पर आयएमडीजी कोड के अनुसार गैस के नाम से चिन्हांकित, लेबलिंग किये, जाएंगे। गैस के सिलिंडर/कंटेनर पैक किये गये केसेस भी इसी प्रकार चिन्हांकित या लेबलिंग किये जायेंगे।

22.0 सिलिंडरों की सम्हालाई में सावधानी

● निपटान के दौरान सिलिंडरों को पर्याप्त आधार दिया जाएगा।

● सिलिंडर यहां वहां ले जाने के लिए जहां तक संभव हो पर्याप्त रूप से मजबूत ट्रालियों अथवा क्रेडल्स का उपयोग होगा।

● सिलिंडरों का निपटान संपूर्ण सावधानी बरतते हुए किया जाएगा। सिलिंडर एक दूसरे पर गिरने या इस प्रकार की और अवांछित स्थिति में आने नहीं दिए जाएंगे।

● सिलिंडर घसीटना, गिराना अथवा उनके साथ खेलना निषिद्ध है।

● द्रवीकृत पेट्रोलियम वायु सिलिंडर अथवा द्रवरूप किए जा सकने वाले वायु से भरे सिलिंडर हमेशा सीधे स्थिति में रखे जाएंगे और इस प्रकार रखे जाएंगे कि उस पर कुछ गिर नहीं जाएगा।

● समतल रखे गए पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखे जाएंगे कि उनके लुढ़कने की संभावना न हो।

● वेल्डिंग, कटिंग अथवा हिटिंग के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सिलिंडर को छोड़कर अन्य में ज्वालाग्राही वायु से भरे हुए और किसी भी सिलिंडर के नजदीक खुली ज्वाला/अग्नि ज्वाला की आग वेल्डिंग तथा धूम्रपान की सख्त मनाई होगी।

23.0 निपटान के दौरान सारे गैस सिलिंडर/कंटेनर ट्रे पर जमा किए जाएंगे। तथापि, यदि संभव न हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित और किसी सुरक्षित पद्धति के स्लिंग्स (Slings) का उपयोग किया जा सकता है।

24.0 सिलिंडर/कंटेनर के वॉल्व और फिटिंग्स की तेलयुक्त अथवा चिकने पदार्थों से संसर्ग टालन के लिए हर प्रकार की सावधानी बरती जाएगी और हर संभव उपाय किए जाएंगे।

25.0 ज्वालाग्राही वायु और टॉक्सीक वायु भरे सिलिंडर/कंटेनर का निपटान स्वतंत्र रूप से किया जाएगा और वे एक दूसरे से तथा अन्य प्रकार से वायु से भरे सिलिंडरों से हमेशा अलग रखे जाएंगे।

- 26.0 वायु के सिलिंडर/कंटेनर हर वक्त सूर्य किरणों से तथा सीधी उष्णता के अन्य स्रोतों से दूर सुरक्षित रखे जाएंगे ।
- 27.0 वायु के सिलिंडर/कंटेनर के ऊपर और कोई भी माल नहीं रखा जाएगा ।
- 28.0 खाली सिलिंडर/कंटेनर जब तक पूर्णतः वायुमुक्त नहीं किए जाते तब तक ये विनियम खाली सिलिंडर/कंटेनर के मामले में भी लागू होंगे ।
- 29.0 **परिभाषा**
> ज्वलनशील द्रव > वे द्रव या द्रवों का मिश्रण या विलेय या अविलेय रूप में स्थित ठोस पदार्थों सहित ऐसे द्रव हैं जो 61° से. जिसे आमतौर पर ज्वलनांक कहा जाता है या उससे नीचे बन्द कप जाँच में ज्वलनशील भाप उत्सर्जित करते हैं और उन्हें रिसेप्टेकलो और कंसेंस में पैक किया जाता है । पेट्रोलियम पदार्थों का पेंकेज्ड स्वरूप पेट्रोलियम नियम 1976 की आवश्यकताओं के अनुसरण में होगा ।
- 29.1 इन विनियमों के संबंध में ज्वलनशील द्रव निम्न गुटों में उप-विभाजित किए गए हैं ।
- 29.1.1 श्रेणी 3.1 बंद कप जाँच अनुसार -18° सी (0° एफ) से नीचे के ज्वलनांक वाले द्रवों का कम ज्वलनांक गुट ।
- 29.1.2 श्रेणी 3.2 बंद कप जाँच अनुसार -18° सी (0° एफ) से 23° सी (73° एफ) तक पर 23° सी सम्मिलित नहीं, के ज्वलनांक वाले द्रवों का मध्यम ज्वलनांक गुट ।
- 29.1.3 श्रेणी 3.3-बंद कप जाँच अनुसार 23° सी (73° एफ) से 61° सी (141° एफ) तक के ज्वलनांक वाले द्रवों का उच्च ज्वलनांक गुट ।

आईएमडीजी कोड वर्ग 3 की सम्हलाई और सावधानी—

- 30.0 मालिक/एजेंट सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथावर्णित सभी अनुदेशों का पालन करेगा ।
- 31.1 इस वर्ग के द्रव बहुलकता में परिवर्तित हो सकते हैं और तब खतरनाक वायु एवं उष्णता उत्सर्जित करते हैं, जिससे रिसेप्टेकल/कंटेनर के टूटकर बिखरने की संभावना रहती है । ये द्रव बहुलकता में परिवर्तित न हों इसलिए यदि आवश्यक हो तो उनमें योग्य संयोजी या निरोधक पदार्थ मिलाए जाएं या अन्य ऐसे उपाय किये जाएं जिससे बहुलकता में परिवर्तन की जोखिम कम हो । ऐसे द्रव भरे कंटेनर/रिसेप्टेकलों की सम्हलाई के समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए । कंटेनर/रिसेप्टेकल गिराये, फेंके, लुढकाए या और किसी गलत तरीके से सम्हलाए न जाएं ।
- 32.0 इस प्रकार के कुछ द्रवों की भांप में मनुष्य के लिए हानिकारक गुणधर्म होते हैं । अतः उनकी सम्हलाई करने वाले मजदूरों को उसके खतरों से दूर रखा जाएगा ।
- 33.0 इस माल की सम्हलाई के समय वह माल आग पकड़ने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों से हर वक्त, उनके स्थानांतरण के दौरान भी, दूर रखा जाएगा। ऐसा माल शीत एवं हवादार जगह में रखा जाएगा ।

- 34.0 इस क्षेत्र में अथवा आस-पास काम करने वाले सभी कार्मिकों को, दियासलाई, लाईटर, प्लिंट अथवा जो आग लगा सके या जिससे चिनगारी निकल सके, ऐसी और कोई भी सामग्री लाने की इजाजत नहीं रहेगी ।
- 35.0 जहाँ भी कोई रिसता ड्रम देखा जाए उसे हटाकर अलग रखा जाएगा और उसकी सम्हलाई अत्यधिक सावधानी से की जाएगी ।
- 36.0 अत्यावश्यक स्थितियों को छोड़कर, सामान्य स्थितियों में ऐसे माल का निपटान केवल दिन में किया जाएगा ।
- 37.0 ऐसे माल का पैकेजिंग, उसे आग की बाहरी स्रोतों से सुरक्षित रखे जाने की दृष्टि से किया जाए यदि उसे कोई नुकसान पहुंचता है तो उसमें तुरंत सुधार किया जाना चाहिए ।
- 38.0 इन द्रवों से नमूना निकालते समय, चिनगारी रहित साधन या सक्शन पद्धतियां अपनाई जायेंगी।
- 39.0 इस माल का अन्य सारे माल से पृथक्करण एवं विनियोजन आयएमडीजी कोड के अनुसार होगा ।

आईएमडीजी कोड वर्ग 4 की सम्हलाई और सावधानी

40.0 परिभाषा

- 40.1 वर्ग 4.1 ज्वलनशील ठोस पदार्थ
इस वर्ग में ऐसे ठोस पदार्थ हैं जो परिवहन के दौरान आसानी से आग पकड़ सकते हैं अथवा घर्षण होने पर ज्वलनशील होने के कारण आग लगा सकते हैं या आग लगाने में मदद करते हैं । ये ऐसे स्वतः प्रक्रियाजन्य (ठोस या द्रव) पदार्थ हैं; जो प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक उष्मा निर्माण करते हैं या ये ठोस रूप में असंवेदी विस्फोटक हैं जिन्हें यदि तनूकृत (डायल्यूट) न किया तो विस्फोट करा सकते हैं ।
- 40.2 वर्ग 4.2 स्वाभाविक दहन की संभावना वाले पदार्थ
इस वर्ग में से ऐसे द्रव या ठोस पदार्थ हैं जिनका परिवहन-दौरान की सामान्य स्थिति में या हवा से संपर्क आने पर तापमान बढ़ सकता है और तब वे आग पकड़ सकते हैं ।
- 40.3 वर्ग 4.3 ऐसे पदार्थ जो पानी के संपर्क में आने पर ज्वलनशील वायु उत्सर्जित करते हैं।
इस श्रेणी में वे द्रव या ठोस पदार्थ हैं जो पानी के संपर्क में आने पर ज्वलनशील हो जाते हैं या वे काफी घातक मात्रा में ज्वलनशील वायु उत्पन्न कर सकते हैं ।

आईएमडीजी कोड वर्ग 4.1 की सम्हलाई और सावधानी

- 41.0 मालिक/एजेंट इस माल की सम्हलाई के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये अनुदेशों का सख्ती से पालन करेंगे ।
- 42.0 सम्हलाई के दौरान पैकेजिंग को कोई नुकसान न पहुंचे इसकी सुनिश्चित की जाएगी। यह माल गिराया, फेंका, लुढकाया अथवा/और किसी गलत तरीके से हथियारा नहीं जाएगा ।
- 43.0 सम्हलाई के दौरान यह माल रिसे नहीं इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा । रिस जाने की स्थिति में, वह पैकेज सक्षम

प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित सुरक्षित प्रकार से हटा दिया जाएगा ।

- 44.0 किसी भी स्थिति में कोई वाहन या मशीनरी या और माल, गिरे ज्वालामुखी ठोस पदार्थों के रिसाव के ऊपर से गुजरने/लुढ़कने नहीं दिया जाएगा ।
- 45.0 यह सुनिश्चित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि, सम्हलाई/भंडारण अथवा परिवहन के प्रत्येक चरण में ऐसा माल अन्य माल से दूर तथा सक्षम प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार सुरक्षित दूरी पर सम्हलाया जा रहा है ।

आईएमडीजी कोड वर्ग 4.2 की सम्हलाई और सावधानी

- 46.0 विनियम 41.0 से 45.0 इस वर्ग पर भी लागू हैं । इनके अलावा उन पर निम्न प्रतिबंध भी लागू होंगे ।
- 47.0 यदि संपूर्ण अवधि के लिए वायुरुद्ध मुहरबंद स्थिति में ये पदार्थ पैक रहते हैं तो उन्हें पत्तन क्षेत्र के अंदर रहने देने की अनुमति दी जा सकती है ।
- 48.0 स्वाभाविक दहन की संभावना वाले ज्वालामुखी ठोस पदार्थ संक्रमण के दौरान जोखिमी माल शेड के अंदर अथवा ऐसे माल के स्वतंत्र रूप से परेषण से संबंधित अनुदेशों में दर्शाये गये किसी अन्य परिसर में छोटे ढेर रचाकर संग्रहित किये जाएंगे । ऐसे छोटे ढेरों के बीच तथा इन ढेरों एवं दीवारों के बीच हर तरफ से पर्याप्त जगह छोड़ी जाएगी । अतितप्त होने की संभावना नहीं है इसकी सुनिश्चित करने की दृष्टि से इन ढेरों का नियमित व आवधिक निरीक्षण किया जाए । यदि कोई ढेर आवश्यकता से अधिक गर्म पाया जाता है तो वह ढेर गिराया/हटाया जाएगा, उसे ठंडा किया जाएगा और सुरक्षित प्रकार से पुनः ढेर में लगाकर रखा जाएगा ।

आईएमडीजी कोड वर्ग 4.3 की सम्हलाई और सावधानी

- 49.0 41.0 से 45.0 तक के सभी विनियम इस वर्ग को भी लागू होंगे । इनके अलावा उन पर निम्न प्रतिबंध भी लागू होंगे ।
- 50.0 यदि बारिश हो रही हो, तो पानी के संपर्क में आने पर ज्वालामुखी वायु निर्माण करने वाले ठोस पदार्थों या घटकों की सम्हलाई नहीं की जाएगी ।
- 50.1 ऐसे पदार्थों की सम्हलाई और संक्रमण संग्रहण के प्रत्येक चरण में ऐसे पदार्थों को गीला न होने देने या सर्द हवा के संपर्क में न आने देने के हर संभव प्रतिबंधक उपाय किये जाएंगे ।
- 51.0 कुछ पदार्थों का केवल सर्द हवा से संपर्क आने पर भी खतरनाक प्रतिक्रिया होने की संभावना रहती है । इसलिए इस तरह के माल-कंटेनर को कोई नुकसान पहुंचता है या वह टूटता है, तो ऐसे कंटेनर की सम्हलाई सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार की जाएगी । सक्षम प्राधिकारी सुरक्षा की सुनिश्चिति के लिए कोई भी आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा। यदि उसे आवश्यक प्रतीत होता हो, तो ऐसा कंटेनर नष्ट कर देने के भी आदेश दे सकता है ।

आईएमडीजी कोड वर्ग 5

52.0 परिभाषा

- 52.1 वर्ग 5.1 ऑक्सीडीकरण पदार्थ (एजेंट्स)
ये ऐसे पदार्थ हैं जो अपने आप में शायद दहनशील न हों, पर आमतौर पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराके इनके संपर्क में आने वाली अन्य सामग्री में आग लगने का खतरा पैदा करते हैं ।
- 52.2 वर्ग 5.2-ऑर्गैनिक पैराक्साइड
जिन ऑर्गैनिक पदार्थों में द्विसंयोजक "O-O" स्ट्रक्चर निहित है और जो हाइड्रोजन पैराक्साइड के संजात (डेरिवेटिव) माने जा सकते हैं और जिनमें एक अथवा दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं की जगह ऑर्गैनिक रेडिकल ने ली है, ऐसे पदार्थों के उष्मोत्सर्गि स्वयं गतिविधित अपघटन (एक्सोथर्मिक सेल्फ एक्सिलेरेटिक डिंपोजिशन) की संभावना रहती है। इसके अलावा उनमें निम्न में से एक या अधिक गुणधर्म हो सकते हैं:-
- विस्फोटक अपघटन की संभावना
- तेजी से ज्वलन
- घर्षण या टकराव/दबाव के प्रति अधिक संवेदनक्षम
- अन्य पदार्थों के साथ खतरनाक अभिक्रिया देना
- आँखों को नुकसान देय
- 53.0 मालिक/एजेंट इस माल की सम्हलाई के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये अनुदेशों का सख्ती से पालन करेंगे।

आईएमडीजी कोड वर्ग 5.1 की सम्हलाई और सावधानी

- 54.0 इस वर्ग के सभी पदार्थों में आग के संपर्क में आने पर प्राण वायु उत्सर्जित करने के गुणधर्म होते हैं और ऐसे पदार्थों का मिश्रण दाहक सामग्री के साथ कभी-कभी केवल घर्षण या टकराने से भी तुरंत आग पकड़ सकता है । इसलिए यह माल प्राप्त करने से पहले सभी बोट्स या किनारे के सभी स्थान एवं सारे माल गोदाम अच्छी तरह साफ किये जाने चाहिए ।
- 55.0 कोई भी क्षतिग्रस्त या रिसता कंटेनर सुरक्षित रूप से हटाया जाए और सक्षम प्राधिकारी के अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाए ।
- 56.0 इस प्रकार का माल गिर जाने/रिसने की स्थिति में उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से अलग से साफ किया/उठाया तथा हटाया जाएगा । इस प्रकार गिरे/फैले माल पर से किसी भी प्रकार का कोई बोझ वजन कतई ले जाया नहीं जाएगा ।
- 57.0 इनके अम्लों के साथ संयोग पर विषजन्य वायु उत्सर्जित किये जाने की काफी संभावना रहती है। इसलिए ये पदार्थ खास तौर पर अम्लों से संपूर्ण अलग से रखे जाने चाहिए ।
- 58.0 सुपुर्दगी अथवा सम्हलाई के बाद जहाँ इस माल का भंडारण किया गया था उन बाजों और सभी क्षेत्रों को अच्छी तरह से साफ करना आवश्यक है ।

59.0 अमोनियम नाइट्रेट्स पर विशेष प्रतिबंध - बंदरगाह में लाये जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट का आईएमडीजी कोड में विनिर्दिष्ट किये के अनुसार ऑर्गेनिक अशुद्धियों से मुक्त होना प्रमाणित होना चाहिए। उस माल के उत्पादक देश के सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी शुद्धता प्रमाण पत्र ऐसे माल या जहाज को गोदी में प्रवेश की अनुमति दिये जाने से पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये नियम खाद श्रेणी के अमोनियम नाइट्रेट पर लागू नहीं होंगे।

आईएमडीजी कोड वर्ग 5.2 की सम्हलाई और सावधानी

60.0 ऑर्गेनिक पैराक्साइड की सम्हलाई -द्रव ऑर्गेनिक पैराक्साइड के रेसेप्टेकल बिल्कुल सीधे रखे जायेंगे। जरासे तिरछे हो जाने पर द्रव उनमें से गिर सकते हैं। ये द्रव रेसेप्टेकल के धातु से अथवा अन्य किसी वस्तु के संपर्क में आने पर तीव्र अभिक्रिया देते हैं, जिनके कारण बड़े विस्फोट भी हो सकते हैं।

61.0 अन्य ऑर्गेनिक पैराक्साइड (द्रव स्थिति में न होने वाले) पूरी सावधानी बरतते हुए सम्हलाए जायेंगे। यदि आवश्यक हो, तो लोडिंग कुशन्स का इस्तेमाल किया जाएगा—ताकि घर्षणीय संपर्क टाला जा सके।

62.0 यदि पैराक्साइड रखा कोई रेसेप्टेकल या पैकेज क्षतिग्रस्त या रिसती स्थिति में पाया जाता है, तो उसे पानी से पूरी तरह भिगो दिया जाएगा। और बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेशित तरीके से उसे हटाया जाएगा। पुनः पैकिंग अथवा क्षतिग्रस्त रेसेप्टेकल की मरम्मत का कार्य पत्तन क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं है।

63.0 जब माल का निपटान किया जा रहा हो, तब पूरी अवधि के दौरान फायरहोजेस निकालकर अग्निशामन कर्मचारी वर्ग हर वक्त तुरंत कार्यवाही की दृष्टि से तैयार होना चाहिए।

64.0 ऑर्गेनिक पैराक्साइड का आँखों से संपर्क टाला जाएगा। जब ऐसे माल से संबंधित काम हो रहा हो तब उचित संरक्षण सामग्री उपलब्ध कराई एवं इस्तेमाल की जाएगी।

65.0 यह माल चिनगारी ज्योत अथवा आग के अन्य स्रोतों से हमेशा दूर रखा जाएगा।

66.0 इस माल के पैकेजों का सूर्यकिरणों से सीधा संपर्क आने नहीं दिया जाएगा और ऐसे माल का संग्रहण और सम्हलाई अच्छे हवादार स्थानों में की जाएगी।

67.0 ऑर्गेनिक पैराक्साइड की सम्हलाई बाकी माल से दूर, अलग से की जाएगी।

68.0 इस माल की सम्हलाई केवल दिन की रोशनी में ही किया जाएगा।

आईएमडीजी कोड वर्ग 6

69.0 परिभाषा

69.1 वर्ग 6.1 जहरीले (विषजन्य पदार्थ) -

>विषजन्य >से वही अर्थ अभिप्रेत है, जो >जहरीले >शब्द से है, ये वो पदार्थ हैं, जिनके निगलने, सूँघने या त्वचा के संपर्क में आने से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, या वह

गंभीर रूप से घायल हो सकता है, या वे उसके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं।

69.2 वर्ग 6.2 संसर्गजन्य पदार्थ—ऐसे पदार्थ, जिनमें जीवित माइक्रोऑर्गेनिजम्स (बेक्टेरिया, वायरस, रिक्टिसिया पैरासाइट या फंगी) अथवा उनके विष (टॉक्सिन) या उनके वाहक होते हैं और मनुष्यों एवं जानवरों में रोग पैदा करते हैं।

70.0 मालिक/एजेंट इस माल की सम्हलाई के बारे में सक्षम प्राधिकारी के अनुदेशों का पूरा अनुपालन करेगा।

आईएमडीजी कोड वर्ग 6.1 की सम्हलाई और सावधानी

71.0 पोर्ट में लाये जाने वाले जहरीले पदार्थों के रेसेप्टेकल वायुरोधित करके मुहरबंद एवं सुरक्षित रूप से बंद स्थिति में होंगे, ताकि उनमें से भाप/द्रव चूर्ण निकल न पाये।

72.0 बार्ज मिलने से पहले तथा सम्हलाई के दौरान सारे समय रेसेप्टेकल/कंटेनरों का निरीक्षण होना चाहिए। कोई भी रिसता या क्षतिग्रस्त रेसेप्टेकल तत्काल हटाया जाए और सक्षम प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन किया जाए।

73.0 इस वर्ग के जिस पदार्थ का ज्वलनांक 61° सी (141° एफ) के नीचे है, वह भी परिभाषा के अनुसार ज्वलनशील द्रव है। इसलिए इस माल की सम्हलाई में भी वैसी ही सावधानी बरती जाएगी जैसी कि ज्वालामुखी द्रवों के लिए बतायी गयी है और ये द्रव शीत एवं हवादार जगह में संग्रहित किये जायेंगे।

74.0 ऐसे माल के सारे रेसेप्टेकल सम्हलाई के समय सीधे ही रखे जाएंगे, ताकि ज्वलनशील पदार्थ का रिसाव न हो।

75.0 ये पदार्थ त्वचा में अवशोषण, अंतर्ग्रहण से या साँस में घुलने से जहरीले साबित हो सकते हैं। इसलिए मजदूरों एवं इन पदार्थों की सम्हलाई से संबंधित अन्य किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित योग्य संरक्षक सामग्री की व्यवस्था की जाएगी।

76.0 ऐसे पदार्थों के रेसेप्टेकल्स की सम्हलाई अन्य माल से अलग करके की जाएगी।

77.0 ऐसे पदार्थ यदि कभी खुली जगह में भंडारण किये जाते हैं, तो वे मजबूत टारपोलिन से आच्छादित रहेंगे और किसी प्रकार का रिसाव नहीं है, इसकी सुनिश्चिति के लिए उनका नियमित निरीक्षण किया जाएगा। ढेर पर सुस्पष्ट दिखायी दें ऐसे उचित आईएमडीजी लेबल लगाये जाएंगे। ताकि आसपास काम कर रहे लोग उसे जहरीले माल के रूप में जान जायें। तथापि 61° सी (141° एफ) से कम ज्वलनांक वाले ये पदार्थ किसी भी ज्वालामुखी द्रव की तरह शीत एवं पर्याप्त हवादार जगह में रखे जायेंगे।

78.0 निपटान—संक्रमण या भंडारण के दौरान कोई नुकसान होता है या रिसाव होता है, तो ऐसी स्थिति में उस माल के तथा उससे प्रदूषित हुए अन्य सभी माल के निपटान संबंधी निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

78.1 निपटान का तरीका तय करने से पहले पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी अथवा सीमा शुल्क अधिकारी अथवा अन्य सांविधिक प्राधिकारी से सहमति या सलाह ली जाएगी।

- 79.0 जहरीले पदार्थों के संबंध में किसी दुर्घटना की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई—
निपटान या संक्रमण भंडारण के दौरान जहरीले पदार्थ के किसी रेसेप्टकल/केस को कोई नुकसान पहुँचता है या उसमें रिसाव पाया जाता है, तो उस स्थिति में जोखिमी माल के निरीक्षक या जिम्मेदार व्यक्ति—
- 79.1 सक्षम प्राधिकारी को तुरंत सूचित करें।
- 79.2 आसपास के लोगों को वहाँ से हटाकर सुरक्षित क्षेत्र में जाने की सूचना दें।
- 79.3 जिन लोगों की जहर से बाधित हो जाने की आशंका है, उन्हें यदि उचित हो, तो प्रथमोपचार कराकर फिर पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था करें। अनुभाग का कोई जिम्मेदार कर्मचारी इन लोगों के साथ जाए, ताकि वह काम पर होने वाले डॉक्टर को दुर्घटना से संबंधित जहर का नाम तथा उसके ज्ञात गुणधर्मों की जानकारी दे सके।
- 79.4 रिसाव के क्षेत्र के विसंदूषिकरण के लिए उचित कार्रवाई की जाए।
- 79.5 रिसे जहर से दूषित माल यथा निर्दिष्ट प्रकार से निपटान के लिये अलग करके रखा जाएगा।
- 80.0 **विसंदूषिकरण**
इस वर्ग के जहरीले पदार्थों—खासकर द्रव पेस्टिसाइड्स—के रिसाव के मामले में संबंधित पदार्थ की दृष्टि से समुचित विसंदूषिकरण उपाय सक्षम व्यक्ति की देखरेख में किये जायेंगे।
- 80.1 किसी भी व्यक्ति को जहाज के किसी भी ऐसे होल्ड या कंपार्टमेंट में—जहाँ इस वर्ग के कुछ पदार्थों के रिसाव की आशंका हो—प्रवेश की अनुमति केवल तभी दी जायेगी, जब मास्टर या अन्य जिम्मेदार अधिकारी द्वारा सभी सुरक्षा उपाय किये गये हों और वहाँ प्रवेश करने में कोई खतरा नहीं, इस बात से वे संतुष्ट हो।
- 80.2 अन्य स्थितियों में > होल्ड > के अंदर आपातकालीन प्रवेश, प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा स्वयंपूर्ण श्वसन उपकरण और अन्य आवश्यक संरक्षक कपड़े पहनकर किया जायेगा।

आईएमडीजी कोड वर्ग 6.2 की सम्वहलाई और सावधानी

- 81.1 जो जहाज मालिक/एजेंट औपसर्गिक पदार्थों की सम्वहलाई करना चाहता हो, वह सम्वहलाई किये जाने वाले माल का सारा संबंधित ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी को काफी पहले प्रस्तुत करेगा, ताकि पल्लन प्राधिकारियों को विशेषज्ञों की सलाह एवं सहायता प्राप्त करके उनके द्वारा निर्धारित सारी शर्तों/प्रतिबंधों के अनुसार माल की सम्वहलाई के लिये पर्याप्त समय रहे।
- 81.2 संसर्गजन्य माल के परेषणकर्ता, इन पदार्थों की पैकिंग के लिए जिम्मेदार है इसलिए वे यह सुनिश्चित करेंगे कि पैकेज पोर्ट में या गन्तव्य स्थान पर, अच्छी स्थिति में पहुँचे, इनके वहन के दौरान व्यक्तियों को या जानवरों को

इससे खतरा न हो।

- 81.3 जब भी ऐसे पदार्थों की सम्वहलाई के अवसर आये या ऐसे पदार्थ इस पोर्ट से गुजरें, तो आईएमडीजी कोड मार्गदर्शक तत्व और नियम उन्हें लागू होंगे।
- 81.4 संसर्गजन्य पदार्थों के आयात/निर्यात के लिए सक्षम अधिकारी से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना, परेषिती/परेषणकर्ता की जिम्मेदारी है, यदि यह संदेह हो या मालूम हो कि मानवी या पशु मूल के अधिकतम जोखिमी संसर्गजन्य पदार्थ हैं तो परेषणकर्ता/परेषिती तत्काल परेषिती/परेषणकर्ता को इसकी अभिस्वीकृति की सूचना उपलब्ध सबसे तेज दूरसंचार माध्यम के जरिए दें।

आईएमडीजी कोड वर्ग 7

- 82.0 रेडिओअॅक्टीव्ह सामग्री—वह सामग्री है जिसमें रेडिओ न्यूक्लाइड्स होते हैं, जिनसे परेषित माल में विघटनाभिकता केंद्रीकरण और कुल विघटनाभिकता आईएमडीजी कोड में निर्धारित मात्रा से अधिक हो जाती है।

आईएमडीजी कोड वर्ग 7 की सम्वहलाई और सावधानी

- 83.0 विकिरण, संरक्षण निदेशालय भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) से विशेष अनुज्ञापन प्राप्त किया गया हो और उक्त प्राधिकरण द्वारा सूचित की गयी सावधानियों का अनुपालन किया गया हो तो ही रेडिओअॅक्टीव्ह पदार्थों की सम्वहलाई के लिए अनुमति दी जाएगी।
- 84.0 वे जोखिमी माल सामान सूची (अनुसूची I) और बीएआरसी के अनुदेशों की प्रतिलिपियाँ सक्षम प्राधिकारी को पर्याप्त समय पहले प्रस्तुत करेंगे, ताकि पल्लन इस माल को प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकें।
- 85.1 सभी रेडिओअॅक्टीव्ह वस्तुओं को सभी परिवहन और पल्लन कागजातों में अवश्यमेव घोषित किया जाए।
- 85.2 प्राप्त रेडिओअॅक्टीव्ह पदार्थों के परेषिती, ऐसे माल की सम्वहलाई की देखरेख के लिए तकनीकी दृष्टि से अर्हता प्राप्त एक व्यक्ति प्रतिनियुक्त करे। वह संक्रमण-भंडारण और सम्वहलाई के दौरान, जोखिमी माल के निरीक्षक के साथ मिलकर काम करेगा तथापि बीएआरसी की सिफारिशों का उचित पालन हो यह देखना सक्षम व्यक्ति की जिम्मेदारी है।

आईएमडीजी कोड वर्ग 8

86.0 परिभाषा

- संक्षारक पदार्थों का अर्थ है, ऐसे पदार्थ जो यदि जीवित ऊतकों के संपर्क में आये तो उन्हें रासायनिक प्रक्रिया से गंभीर क्षति पहुँचा सकते हैं, या उनका रिसाव हुआ तो उन्हें रासायनिक प्रक्रिया से बड़े पैमाने पर नुकसान कर सकते हैं, अन्य माल और परिवहन के वाहन को भी ये क्षति पहुँचा सकते हैं।
- 87.0 मालिक/एजेंट इस माल के निपटान के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये अनुदेशों का संपूर्ण पालन करेंगे।

आईएमडीजी कोड वर्ग 8 की सम्वहलाई और सावधानी

- 88.0 इस माल की सम्वहलाई अन्य वर्ग के माल के बिल्कुल अलग रखकर की जाएगी, तथा अम्ल और क्षार उचित रूप से अलग किये गये हैं। इसकी सुनिश्चिति के लिए पूरी सावधानी बरती जाएगी।
- 89.0 इस माल के रेसेप्टेकल/कार्बॉय की सम्वहलाई अत्यधिक सावधानी से, तथा उन्हें हमेशा सीधा रखकर की जाएगी, ताकि किसी प्रकार का नुकसान या रिसाव टाला जा सके।
- 90.0 कोई भी क्षतिग्रस्त रेसेप्टेकल/कार्बॉय तुरंत अलग कराया जाएगा। और सक्षम प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसार हटाया जाएगा और त्वचा से सीधा संपर्क न हो इसके लिये विशेष सावधानी बरती जायेगी।
- 91.0 इस वर्ग के 61° से. से कम ज्वलनांक वाले पदार्थ ज्वालाम्राही पदार्थ होने के कारण उनकी सम्वहलाई एवं संग्रहण के दौरान सभी आवश्यक उपाय किये जायेंगे।
- 92.0 यह माल आच्छादित जगह में संग्रहित किया जाना चाहिए। जब यह संभव न हो, तब वह खुली जगह में, परंतु आच्छादित प्लेटफॉर्म पर—अन्य माल से अलग, उचित प्रकार से चिन्हित करके रखा जाएगा।
- 93.0 जब भी क्षयकारी पदार्थों की सम्वहलाई के कोई रेसेप्टेकल या कार्बॉय क्षतिग्रस्त हो जाये, तो वे सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार नष्ट किये जाए या अहानिकारक कराये जाएंगे।
- 94.0 **दुर्घटना के समय**
- 94.1 आसपास क्षेत्र के सारे व्यक्तियों को वहां से दूर सुरक्षित क्षेत्र में जाने के निदेश दिये जाएंगे।
- 94.2 दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को तत्काल प्रथमोपचार उपलब्ध कराये जाएंगे और बाद में जल्द से जल्द अस्पताल या उचित उपाय दिलाने के अन्य स्थान पर भेज दिया जाएगा।
- 94.3 विशेष चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की जाएगी; और
- 94.4 सक्षम प्राधिकारी को तुरंत सूचना भेजी जाएगी।
- 95.0 सक्षम प्राधिकारी, क्षयकारी माल जहां गिर गया हो, वह क्षेत्र, तथा गिरे क्षयकारी पदार्थ से दूषित सभी चीजों के विसंदूषिकरण की व्यवस्था करेगा।

आईएमडीजी कोड वर्ग 9**परिभाषा**

- 96.0 इसमें ऐसे पदार्थों और वस्तुओं का समावेश है, जो परिवहन के दौरान ऐसा खतरा पैदा कर सकते हैं, जो अन्य वर्गों में समाविष्ट न हो।

आईएमडीजी कोड वर्ग 9 की सम्वहलाई और सावधानी

- 97.0 ऐसे पदार्थों की निकासी के समय सक्षम प्राधिकारी उनके विशेष गुणधर्म तथा उनके ज्ञात खतरों पर गौर करेगा और उनकी सुरक्षित सम्वहलाई और संग्रहण के समय यथा आवश्यक प्रतिबंधक उपाय निर्दिष्ट करेगा।

98.0 रद्द करना और बनाए रखना

इन विनियमों को लागू होने पर मुंपोट्ट में जोखिमी माल का परिवहन, निपटान एवं भंडारण विनियम, 1994 रद्द होंगे बशर्ते कि (क) इन विनियमों के इस प्रकार रद्द होने से उस विनियम का पूर्व-प्रचलन एवं कथित विनियम के अंतर्गत जारी आदेश, प्रथाएं या उनके अंतर्गत की गयी किसी बात या की गयी किसी कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा और (ख) इन विनियमों को लागू होने के समय उक्त विनियमों के तहत लंबित कोई भी कार्यवाही जारी रखकर उसे जहां तक संभव हो, इन विनियमों के अनुसार समाप्त किया जाएगा।

अनुसूची-1

- 1.0 मुंबई बंदरगाह में उतारने, सम्वहलाई एवं भंडारण करने की पद्धति तय करने की दृष्टि से जोखिमी माल को उनकी सम्वहलाई में जोखिम की मात्रा के आधार पर और आईएमडीजी वर्गीकरण, पैकेजिंग एवं नौभरण के अनुसार निम्न गुटों में विभाजित किया गया है।

1.1 संवर्ग ए**आईएमडीजी कोड वर्ग**

- 3.1 इस वर्ग के सभी पदार्थ
- 3.2 ज्वलनांक 10° सी के नीचे
- 4.1 (पैकेजिंग गुट I और नौभरण श्रेणी "डी")
- 4.2 (पैकेजिंग गुट I, II और नौभरण श्रेणी "डी" और ई)
- 4.3 (पैकेजिंग गुट I और नौभरण श्रेणी "डी")
- 6.1 (उपरोक्त और ज्वलनांक 10° सी के नीचे)
- 8.0 (उपरोक्त और ज्वलनांक 10° सी के नीचे)

माल हाजी बंदर में सीधी सुपुर्दगी के लिए बीच प्रवाह उतारा जाए, तथापि सक्षम प्राधिकारी कंटेनरीकृत माल सीधी सुपुर्दगी/भराई के लिए गोदियों में खुले घाट में उतारे जाने/भरे जाने की अनुमति दे सकता है।

1.2 संवर्ग बी**आईएमडीजी कोड वर्ग**

- 2.1 इस वर्ग के सभी पदार्थ
- 2.3 इस वर्ग के सभी पदार्थ
- 3.2 (ज्वलनांक-10° सी के ऊपर 23° के बीच में)
- 4.1 (पैकेजिंग गुट II और नौभरण श्रेणी सी और ई)
- 4.2 (पैकेजिंग गुट I, II और नौभरण श्रेणी डी और ई)
- 4.3 (पैकेजिंग गुट II और नौभरण श्रेणी सी और ई)
- 5.1 (पैकेजिंग गुट I और नौभरण श्रेणी डी और ई)
- 5.2 (पैकेजिंग गुट I और नौभरण श्रेणी डी और ई)
- 6.1 (ज्वलनांक-10° सी से 23° सी के बीच में)
- 7.0 इस वर्ग के सभी पद
- 8.0 (ज्वलनांक-10° सी से 23° सी के बीच में)

हाजी बंदर में सीधी सुपुर्दगी के लिए बीच प्रवाह उतारा जाये,

इस श्रेणी के माल के कंटेनर को संग्रहण एवं सुपुर्दगी के लिए हाजी बंदर में भेजने के पूर्व गोदियों में उतारने की अनुमति दी जा सकती है।

1.3 संवर्ग सी

आईएमडीजी कोड वर्ग

- 2.2 इस वर्ग के सभी पदार्थ
- 3.3 (ज्वलनांक 23° सी से 61° सी के बीच)
- 4.1 (पैकेजिंग गुट III और नौभरण श्रेणी ए और बी)
- 4.2 (पैकेजिंग गुट II और III नौभरण श्रेणी ए, बी और सी)
- 4.3 (पैकेजिंग गुट III और नौभरण श्रेणी ए और बी)
- 5.1 (पैकेजिंग गुट II और III नौभरण श्रेणी ए, बी और सी)
- 5.2 (पैकेजिंग गुट II और नौभरण श्रेणी ए, बी और सी)
- 6.1 (पैकेजिंग गुट I और II और नौभरण श्रेणी सी, डी और ई)
- 8.1 (पैकेजिंग गुट I और II और नौभरण श्रेणी सी, डी और ई)

हाजी बंदर में संग्रहण और सुपुर्दगी हेतु सीधे हटाने के लिए गोदियों में बाजेस अथवा वार्फ पर उतारने की अनुमति दी जा सकती है।

1.4 संवर्ग डी

आईएमडीजी कोड वर्ग

- 6.1 (पैकेजिंग गुट II और III तथा नौभरण श्रेणी ए और बी)
- 8.0 (पैकेजिंग गुट II और III तथा नौभरण श्रेणी ए और बी)

सम्वहलाई एवं संग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों पर माल संग्रहण एवं सुपुर्दगी के लिए गोदियों में उतारे जाने की अनुमति दी जा सकती है।

2.0 मालिक/एजेंट की जिम्मेदारी

बंदरगाह में जहाज आने के पूर्व मालिक/चार्टर/एजेंट जहाज में रखे गए जोखिमी माल के बारे में सच्ची और सही जानकारी देगा और तत्पश्चात् खतरनाक माल के निपटान के तरीके के संबंध में परेशिती जोखिमी माल निरीक्षक से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा। यहां तक कि जब जहाज श्रेणी सी तथा डी प्रकार के माल से लदा हो और उसे गोदियों में आने की अनुमति हो तो भी पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर जहाज को गोदी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

3.0 जहाज मालिक की जिम्मेदारी

जहाज मालिक प्रवाह में अथवा गोदियों में जहाज आने के पूर्व जहाज पर खतरनाक माल की सही और सत्य घोषणा पत्र पायलट को देगा।

4.0 बार्ज मालिक की जिम्मेदारी

- 4.1 खतरनाक माल का वहन करने वाले बार्जों में एक दूसरे से मेल न खाने वाले विभिन्न वर्गों का माल नहीं भरा जाएगा और जहां एक दूसरे से मेल खाने वाले दो से अधिक वर्गों का माल भरा जाता है। ऐसे माल के बीच पृथक्करण (सेग्रिगेशन)—के लिए पर्याप्त जगह रखी जाएगी। प्रत्येक मामले में खतरनाक माल के निरीक्षक अथवा सक्षम

प्राधिकारी के अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

- 4.2 खतरनाक माल वहन करने वाले बार्ज/लाइटर्स का भूषण क्षेत्र नॉन-फ़्रिक्शन और नॉन-स्पाकिंग प्रकार का होगा।
- 4.3 खतरनाक माल वहन करने वाले बार्ज पर हाजी बंदर में कहीं भी अनावृत्त बत्ती अथवा खुली ज्वाला जलाने की सख्त मनाई है।
- 4.4 हाजी बंदर के पास-पास घाट लगाए गए दो बार्जों के बीच 9.0 मी. (30 फीट) की सुरक्षित दूरी रखी जाएगी।
- 4.5 हाजी बंदर पर बार्जेज डबल बैंकड नहीं होंगे।
- 4.6 हाजी बंदर में बार्जों/लाइटर्स का रात में रखना मना है। उन्हें घाट लगाने के लिए भी उस वक्त काम पर होने वाले शोड अधीक्षक की पूर्वानुमति आवश्यक है ताकि शोड अधीक्षक बार्ज रिसेव करने और दिन में माल उतारने के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया की सुनिश्चित करने की दृष्टि से पर्याप्त व्यवस्था समय पर कर सके।
- 4.7 उपरोक्त विनियम 4.4 से 4.6 के प्रावधानों का उचित अनुपालन हो रहा है, यह देखने की जिम्मेदारी सहायक आयुक्त (पत्तन) की होगी।
- 5.0 अन्य पत्तनों को जाने के लिये कंटेनरों में भरा श्रेणी "ए" या किसी अन्य श्रेणी का जोखिमी माल वहन करने वाले जहाजों को वह माल जहाज पर रहने देने की अनुमति दी जाएगी। उसी प्रकार अन्य पत्तनों के लिये पैकेजेस में रखा श्रेणी ए, बी, सी, डी का माल भी जहाज पर रहने दिया जाएगा। तथापि संक्रमण माल के सभी मामलों में मालिक/एजेंट द्वारा जोखिमी माल निरीक्षक को सत्य एवं सही तथ्य बताये जायेंगे, और निरीक्षक जो पूर्वोपाय निर्धारित करेंगे वे उन्हें बाध्यकारी होंगे। आने वाले जहाज का मास्टर भी पायलट को जोखिमी संक्रमण माल का सही एवं सत्य घोषणापत्र प्रस्तुत करेगा।

अनुसूची-II

खतरनाक माल की सम्वहलाई के लिए आवेदनपत्र

जहाज के मालिक/एजेंट का नाम और पता
प्रति

खतरनाक माल निरीक्षक,

.....पोर्ट ट्रस्ट

.....

महोदय,

संदर्भ : जहाज का नाम एवं यात्रा क्र.

निर्धारित तिथि.....

उपरोक्त जहाज..... (पत्तन) से दि.....

को इस पत्तन में आना अपेक्षित है।

2. *उस जहाज में इस पत्तन पर उतारने के लिए जोखिमी माल की संलग्न सूची में दर्शाया निम्न खतरनाक माल होगा।

3. *इस जहाज पर "संक्रमण" (ट्रांजिट) माल के रूप में निम्न जोखिमी माल भी रखा गया है, जो अलग-सी सूची में दर्शाये के अनुसार पत्तन/पत्तनों में भेजा जाना है।
4. *हम संलग्न जोखिमी माल-सूची (निर्यात) में दर्शाया जोखिमी माल उपरोक्त जहाज पर चढ़ाना चाहते हैं।
5. *कृपया उपरोल्लिखित माल की सम्मलाई और भंडारण के लिए आवश्यक अनुदेश दें।
धन्यवाद।

भवदीय,

जहाज एजेंट/मालिक

- संलग्न : (1) जोखिमी माल की सूची (आयात)
(2) जोखिमी माल की सूची (निर्यात)
(3) संक्रमण माल की सूची—यदि जहाज पर रखा गया हो।

अनुसूची-III

जोखिमी माल के लिए जहाज की जाँच सूची

जहाज का नाम :-----पत्तन (पोर्ट)-----
घाट :-----तिथि-----

पूरे करने योग्य अनुदेश

सुरक्षित प्रचालन की दृष्टि से सारे प्रश्नों के जवाब सकारात्मक होना आवश्यक है, यदि सकारात्मक जवाब न हो तो उसका कारण बताया जाए।

अनुक्र. टिप्पणी

1. क्या जहाज सुरक्षित रूप से बाँधा गया है ?
2. क्या जहाज पर प्रभावकारी "डेकवाँच" की व्यवस्था है ?
3. क्या जहाज-किनारे के बीच संपर्क व्यवस्था कार्यरत है ?
4. क्या अग्निहोजेज एवं अग्निशमन उपकरण तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार है ?
5. प्रदूषक जहाज से न गिरे, इसकी सुनिश्चिति के लिए क्या समुद्र व्हॉल्व्ह एवं जहाज के डिस्चार्ज व्हॉल्व्ह इस्तेमाल में न होने पर उचित प्रकार से हमेशा बंद रखे जाते हैं ?
6. क्या कामकाज की जगह पर "धूम्रपान निषिद्ध" के सूचनापट्ट सुस्पष्ट तथा आसानी से ध्यान जाये इस प्रकार लगाए गये हैं ? क्या धूम्रपान संबंधी सूचनाओं का पालन किया जाता है ?
7. क्या रसोईघर एवं रसोई के साधनों के

इस्तेमाल संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं ?

8. क्या खुले लौ संबंधी निदेशों का पालन किया जाता है ?
9. क्या कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध हैं ?
10. क्या कामकाज की जगह पर काम करने के लिए उचित रोशनी है ?
11. क्या प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण उचित प्रकार से जाँचे गए एवं प्रमाणित हैं, और इस्तेमाल के लिए योग्य हैं ?
12. क्या आप माल के लिए यथा निर्धारित ई एम एस प्लान कार्यान्वित करने के लिए तैयार हैं ?
13. क्या आपके पास एम एफ ए जी कोड द्वारा यथा निर्धारित आवश्यक विषमारक दवाइयाँ (अँटीडोट) हैं ?
14. क्या कामकाज के आसपास अग्नि/उष्णता की आवश्यकता होने वाले मरम्मत कार्य रोक दिए गए हैं ?
15. क्या कंटेनर, पॅकेज, कार्बोयाज बोतलें, ड्रम या पॅकिंग के अन्य सारे साधन क्षतिमुक्त, रिसावमुक्त एवं काम के लिए अन्यथा सुरक्षित कर लिए गए हैं ?

मास्टर

टिप्पणी - जाँच सूची पर मास्टर के हस्ताक्षर हो जाने तक कोई भी जहाज जोखिमी माल की सम्मलाई का कार्य शुरू नहीं करेगा। इसके अलावा यदि किसी प्रश्न का जवाब नकारात्मक हो, तो जोखिमी माल की सम्मलाई का प्रचालन शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक है।

[सं. पी आर-16014/1/2004-पी जी]

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2007

G.S.R. 115(E).— In exercise of the powers conferred by Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mumbai Port Trust (Transport, Handling and Storage of Dangerous Goods) Regulations, 2007 made by the Board of Trustees of Mumbai Port Trust, in exercise of the powers conferred on them by Section 123 of the said Act and which were published in the Gazette of the Government of

Maharashtra dated 15th September, 2005 and 22nd September, 2005 *vide* No. SECY/G/GM-MS/HF 145 II/6592 which is annexed to this notification, as "Schedule".

SCHEDULE

Mumbai Port Trust (Transport, Handling and Storage of Dangerous Goods) Regulations, 2007

PART - I

1.0 Short Title and Commencement

- (1) These Regulations may be called "The Mumbai Port Trust (Transport, Handling and Storage of Dangerous Goods) Regulations, 2007."
- (2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2.0 Application

These Regulations are applicable within the Port Limits of Mumbai and in all the Docks, Wharves, Quays, Bunders, Jetties, Railways, Buildings and other works constructed or acquired by or vested in the Board of Trustees of the Port of Bombay and on lands and/or foreshore and in all the Docks under the control and superintendence of the Port of Mumbai hereinafter called the Port.

- 3.0 Nothing contained in these rules shall be deemed to be in derogatory to the provisions of the Merchant Shipping Act, 1958, the Explosives Act, 1884, the Petroleum Act, 1934 and the Inflammable Substance Act, 1952, the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986, the Environment (Protection) Act, 1986 and the Regulations framed thereunder and any guidelines given by the Regulatory Authorities.

4.0 Definitions

4.1 Boat

Boat means a barge or similar craft used for movement of goods within the Port.

4.2 Chairman

Chairman means the Chairman, of the Board of Trustees and includes any person appointed to act in his place.

4.3 Competent Authority

Competent Authority for the purpose of these regulations means Deputy Conservator as the officer duly appointed by the Board of Trustees to administer the provisions of these regulations.

4.4 Dangerous Goods

'Dangerous Goods' means goods which by virtue of its nature, quantity or mode of handling and storage of such goods are either singly or collectively liable to endanger the life or the health of the persons within the Port limits or on a vessel or to cause damage to property within such Port limits and includes such goods contained in a receptacle, portable tank, freight container or

vehicles as defined in the IMDG Code. The term includes an empty receptacle, portable tank or tank vehicle which has been previously used for carriage of dangerous goods unless such receptacle has been cleaned and dried or, when the nature of the former contents permits such carriage with safety and allow the containers to be closed securely.

Dangerous goods include all substances —

- (i) having properties coming within the classes listed in the IMDG code;
- (ii) substances defined as explosives as defined by the Explosives Act, 1884, and/or the Explosive Rules, 1983;
- (iii) any other goods by virtue of its properties the competent authority may specify as dangerous goods;
- (iv) hazardous chemicals listed in Schedule-I of the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989.

4.5 Handling

'Handling' means the operation of loading and unloading of a vessel, railway wagon or vehicle transfer to, from or within a storage area and/or within a vessel and transshipment between vessels and any ancillary operations in the Port Area and includes stuffing and destuffing of freight container.

4.6 IMDG Code

IMDG Code means the latest edition of International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code adopted by the Maritime Safety Committee of the International Maritime Organization and amended by the organization time to time.

- 4.7 'IMO' means the International Maritime Organisation.

4.8 Inspector of Dangerous Goods

Inspector of Dangerous Goods for the purpose of these regulations means a person appointed by the Competent Authority to ensure compliance with these rules for handling/storage/disposal or transport of the dangerous goods coming to this Port.

4.9 Master

'Master' in relation to any vessel making use of the Port means any person having for the time being the charge or control of such vessel except a Pilot, Harbour Master, Assistant Harbour Master, Dock Master or Berthing Master of the Port.

4.10 Owner

'Owner' when used in relation to goods includes any consignor, consignee, shipper or agent for the sake of custody, loading and unloading of

such goods and when used in relation to any vessel making use of the Port includes any part owner, charterer, consignee or mortgagee in possession thereof.

4.11 Responsible Person

'Responsible Person' means a person appointed by the 'Owner' and/or 'Master' and empowered to take all decisions relating to the tasks of transport, handling and storage of dangerous goods, and having the necessary knowledge and experience for that purpose.

4.12 Transport

'Transport' means the movement of Dangerous Goods by one or more modes of transport in Port.

4.13 Unstable Substance

'Unstable Substance' means a substance which may present a hazard under transport or storage conditions due to spontaneous reaction (e.g. Polymerisation, decomposition, etc.) unless the necessary specific precautions are taken to prevent such a hazard (e.g. inhibition, dilution, refrigeration or other equally effective measures).

4.14 Vessel

'Vessel' means anything made for the conveyance, carriage and/or transportation mainly by water, of dangerous goods in the Port.

4.15 Marine Pollutants

'Marine Pollutants' means substances which, because of their potential to bioaccumulate in seafood or because of their high toxicity to aquatic life, are subject to the provision of Annex III of MARPOL 73/78 (International Convention for the prevention of pollution from ship, 1973/1978), as amended.

5.0 Classification of Dangerous Goods

For purpose of these regulations dangerous goods are classified into the following classes based on IMDG Code.

Class 1	:	Explosives.
Class 2	:	Gases.
Class 3	:	Flammable liquids.
Class 4.1	:	Flammable solids
Class 4.2	:	Flammable solids or substances liable to spontaneous combustion.
Class 4.3	:	Flammable solids or substances, which in contact with water, emit flammable gases.
Class 5.1	:	Oxidising Substances.
Class 5.2	:	Organic Peroxides.
Class 6.1	:	Poisonous (toxic) substances.

Class 6.2	:	Infectious substances.
Class 7	:	Radioactive substances.
Class 8	:	Corrosive substances.
Class 9	:	Miscellaneous Dangerous Substances and articles.

- 5.1 Except for safety explosives, pyrotechnic and fire works, no explosive will be allowed to be handled at Mumbai Port. While handling such explosives, requirements as specified by the competent authority shall be adhered to.
- 5.2 Supplementary rules for handling of explosives in the Port of Mumbai are notified under the Explosives Act, 1884 and/or the Explosives Rules, 1983.
- 5.3 Rules for handling of Dangerous goods of Class 2 to Class 9 have been specified in Part IV of these Rules.
- 5.4 Additional requirements for handling of dangerous goods of Class 2 to Class 9 for the Port of Mumbai are specified in the Schedule I.
- 5.5 Evaluation of the hazards of any substances if not notified by the IMDG Code, the shipper/consignee shall apply to the Director General of Shipping, Government of India, for the same, under the provisions of the Merchant Shipping (Dangerous Goods) Rules.

PART - II

6.0 Arrival of the vessel

The Owner/Agent of a vessel wishing to discharge and/or load dangerous goods shall submit to the Competent Authority the following documents at least 48 hours in advance before the vessel's arrival in Port.

- 6.1 Application form for handling of dangerous goods with the following documents (as described in Schedule II).
- 6.2 Dangerous Goods list (Import) (3 copies).
- 6.3 Dangerous Goods list (Export) (3 copies)
- 6.4 List of transit cargo, if any on-board.

7.0 Deposit

In case of direct delivery/loading cargo or for limited period of storage in Port, the Port Authority may collect a deposit from Owner/Agent to cover the estimated cost of handling, storage, escort and disposal of such goods and the penalty to be imposed, if any. Amount so deposited shall be refunded after the cargo is duly loaded/discharged or handled as per instructions in the permit issued under Section 8.0.

8.0 Grant of Permit

Competent Authority on receipt of these documents and the deposit if any, shall give instructions to the Owner/Agent specifying the

mode of discharge, storage, separation, requirements, equipment to be made available and any other conditions concerning safety of the Port and/or the vessel. In relation to the container cargoes the Competent Authority shall also designate the areas/depot where the container shall be stuffed/ destuffed.

9.0 Commencement of cargo handling

9.1 The Master shall submit a dangerous goods checklist as prescribed in Schedule III.

9.2 The vessel may commence handling of dangerous goods only after obtaining instructions from the Competent Authority as specified in 8.0 and after the Inspector of Dangerous Goods has satisfied himself of the correctness of the check list and any other declaration made by the Owner/Master.

10.0 Responsibilities of the Master

10.1 A Master of vessel carrying dangerous goods, while lying in the Port Limits shall exhibit where it can best be seen.

- (a) a red flag from sunrise to sunset; and
- (b) a red light from sunset to sunrise.

10.2 He shall, whenever dangerous goods' are handled—

- depute a responsible person to personally supervise the operations. Such Officer shall take and/or cause to be taken all due precautions as are necessary under the IMDG Code and these regulations.
- keep the fire fighting gear in readiness with hoses and branch pipes connected.
- ensure that repairs to any part of the vessel necessitating the use of open flame/open fire are not carried out.
- bank carefully fires in engine room and extinguish all other fires or non-safety lights.
- maintain efficient and effective communication with the responsible person on the shore.
- provide and use when necessary the equipment specified in the EMS and MF AG Schedule as published by the IMO.
- provide access and facility to the officials of the Port for inspection of the dangerous goods.
- ensure that no damage/leaky containers or packages of dangerous goods are landed either in barge or ashore without the express permission of the Competent Authority of the Port.
- ensure that appropriate personal protective equipment is used by those engaged in handling of these dangerous goods, and also ensure that the cargo gear and the accessories used are as required for safe handling of such goods.
- ensure that all the dangerous goods are correctly declared as required by the IMDG Code and the Port

and are correctly labeled and marked as per IMDG Code before discharging.

- Dangerous goods shall be stowed safely and appropriately in accordance with the IMDG code or nature of goods. Incompatible goods shall be segregated from one another.
- ensure that dangerous goods checklist is submitted to the Port officials, before commencement of cargo handling as specified in 9.1 of this regulation.
- In the event of accidental damage to dangerous goods containment on-board, the master shall be responsible for taking action and prompt measures for avoiding accidents. He shall abide by all the instructions specified by the competent authority.

11.0 Responsibilities of Owner/Agent

- 11.1 Owner/Agent shall make a true and correct declaration of the dangerous goods to be handled in the Port and those in transit through the Port, whether in containers or other packages.
- 11.2 Cases/Receptacles of each class of dangerous goods brought into the Port area shall conform strictly with the packaging standard stipulated in the IMDG Code. Such cases/receptacles shall remain in a sound condition while dangerous goods are handled in the Port area.
- 11.3 If any receptacle/case of dangerous goods is damaged or starts leaking during handling in the Port, preventive measures as may be indicated by the Competent Authority shall be followed.
- 11.4 Repairs to the damaged cases/receptacles of dangerous goods or repacking their contents shall be carried out under the supervision and guidance of the Competent Authority subject to special restrictions as applicable to individual classes of dangerous goods.
- 11.5 No cases/receptacles of dangerous goods shall be opened anywhere within the Port area except for the purpose of drawing samples by the Customs in an approved manner and with permission to do so from the Competent Authority. Such permission may be granted subject to such additional restrictions and precautions as may be considered necessary.
- 11.6 Tools liable to produce sparks shall not be used to open/close/repair cases/receptacles of dangerous goods or for drawing samples. As far as it is practicable to do so, samples shall be drawn by suction method without tilting the container.
- 11.7 Marking, labeling and packing of all the dangerous goods shall be same as prescribed in IMDG Code.
- 11.8 Handle goods which are in a leaky, damaged or in a deteriorated condition only as per the specified instructions of the Competent Authority.
- 11.9 Provide every facility to the Competent Authority

- or official of the Port to inspect handling and stowage of the dangerous goods.
- 11.10 Ensure that all the formalities for the clearance of the dangerous goods, especially with the Customs, are completed as early as possible so that the delivery can be taken immediately after discharge.
- 11.11 Stuffing and de stuffing of dangerous goods in freight containers shall be undertaken as per recommendations in the IMDG Code and the inspector of dangerous goods.
- 11.12 Provide Material Safety Data Sheet (MSDS) or details of characteristics of the dangerous good, if asked by the competent authority or port officials.
- 12.0 Obligation to take precautions.
- 12.1 Steamer Agents/Consignors/Consignees of dangerous goods and occupiers of custodians of all premises within the Port areas shall always observe and/or cause to be observed any safety precautions required by the Competent Authority and prescribed in these regulations.
- 12.2 When dangerous goods are handled or stored within the Port area Agents/Owners/Consignors/Consignees fail to take reasonable precautions to prevent accidents, the Competent Authority may take such action as is reasonable for the safety of the Port and may recover from such Agents/Owner/Consignors/Consignees such reasonable expenses as may have been incurred. It may be adjusted against the amount deposited and if the amount so deposited is not adequate, the Port may recover its expenses by sale of the cargo.
- 13.0 Determination of Categories of new Substances**
When Owner/Agent seeks to import cargo which is dangerous but not covered by the IMDG Code sufficient notice shall be given to the competent authority to arrange for the modalities for the reception of such cargo, failing which such cargo may be refused entry. If such cargo is listed in Schedule 18 the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989, the Owner/Agent shall seek specific permission and inform the Pollution Control Board about the safety measures being taken for the reception of such cargo.
- 14.0 Responsibility of Barge Owner/Operator**
- 14.1 Barges carrying dangerous goods shall not load different classes of dangerous goods which are incompatible and shall maintain sufficient segregation between classes when carrying more than two classes which are compatible. In every case, the instructions given by the Inspector of Dangerous Goods or the Competent Authority shall be complied with.
- 14.2 Surface area in holds as well as on deck of barges/lighters carrying dangerous goods should be of non-friction and non-sparking type.
- 14.3 Lighting of naked lights or open flames on barges carrying dangerous goods at any place is strictly prohibited.
- 14.4 A safe distance of 9.0 metres should be maintained between two barges berthed alongside at any designated wharf or pier.
- 14.5 As far as practicable, barges will not be Double-Banked while handling.
- 14.6 Overnight stay at any wharf or pier of barges/lighters with dangerous goods shall be with the express permit granted by Inspector of Dangerous Goods.
- 14.7 Barges shall be permitted to come alongside by the Shed Superintendent and he shall be given sufficient notice to receive such barges and plan handling.

PART - III

15.0 General Provisions

- 15.1 The Competent Authority may refuse dangerous goods intended for storage within or transit through the Port, if their presence is likely to endanger life or property because of their volume or condition, the condition of their mode of conveyance, or the conditions that may be prevailing in the Port area.
- 15.2 If any dangerous substance within the area constitutes an unacceptable hazard, the competent authority may order the removal of such substances or packages, freight container, portable tank vessel or vehicle containing it to any other place or to sea as considered necessary.
- 15.3 An unstable substance will not be accepted unless all conditions necessary to ensure the safe transport and handling have been met and properly certified, by the concerned.
- 15.4 Only one class of cargo shall be handled at a time.
- 15.5 The Competent Authority may destroy in a safe manner such dangerous goods, which in his opinion endanger the safety of Port. Where such Dangerous Goods are so destroyed, the Owners/Agents of the goods shall not be entitled to any compensation whatsoever. The Port may remove or destroy any Dangerous Goods which have been handled or transported contrary to the instructions of the Competent Authority. The expenses incurred for doing so may be recovered from owner/agent or from the sale of the cargo, if the owner/agent does not meet these expenses.
- 15.6 The vessel will retain on board all the pollutants and slop caused by the leakages of any dangerous cargoes and take every precaution as per anti-

protected from sun's rays and other sources of direct heat.

- 27.0 Cylinders/Containers of gas shall not be overstowed with other cargo.
- 28.0 These regulations are also applicable in the case of empty cylinders/containers, unless they are affectively made gas free.

IMDG CODE CLASS 3

29.0 Definition

'Flammable Liquids' are liquids, or mixtures of liquids, or liquids containing solids in solution or suspension, which give off a flammable vapour at or below 61°C closed-cup test, normally referred to as the "flash point" and are packed in drums, receptacles and cases. Packaged form of petroleum products shall conform to the requirements laid down in the petroleum rules, 1976.

- 29.1 For the purpose of these rules, Flammable Liquids are subdivided into the following groups:
- 29.1.1 Class 3.1 - Low flashpoint group of liquids having a flash point below -18°C (0°F) closed-cup test.
- 29.1.2 Class 3.2 - Intermediate flashpoint group of liquids having a flashpoint of -18°C (0°F) upto, but not including 23°C (73°F), closed-cup test.
- 29.1.3 Class 3.3 - High flashpoint group of liquids having a flashpoint of 23°C (73°F) up to and including 61°C (141°F) closed-cup test.

Precautions and Handling measures for IMDG Code Class 3

- 30.0 The Owner/Agent shall abide by all the instructions as prescribed by the Competent Authority.
- 31.0 The liquids in this class are liable to polymerise and liberate dangerous gases and heat, possibly resulting in rupture of the receptacle/container. To avoid polymerization, suitable additives or inhibitors if required shall be added or other measures taken so as to minimize the risk of polymerization. Utmost precautions and care shall be taken while handling the containers/receptacles holding these liquids. They shall not be dropped, bumped, rolled or otherwise mishandled.
- 32.0 The vapours from some of the liquids in this type have properties dangerous to human life. Labour handling them shall be protected against this hazard.
- 33.0 When these goods are handled, they shall be away from all the direct and indirect sources of ignition. Even in transit, they shall be kept in cool and well-ventilated place.
- 34.0 All personnel working in the area or in the vicinity shall be prohibited from bringing matches, lighters

or flints and any other material likely to cause ignition or spark or fire hazard.

- 35.0 Whenever a leaky drum is traced, it shall be isolated and handled with utmost precaution.
- 36.0 Barring exigencies, these goods shall only be handled during day light hours.
- 37.0 Packaging of these goods shall be such as to protect them from external sources of ignition. If this is damaged, it should be rectified immediately.
- 38.0 Non-sparking tool and suction methods should be used while drawing samples from these liquids.
- 39.0 Segregation and separation of these cargoes vis-a-vis other cargoes shall be as prescribed in the IMDG Code.

HANDLING AND STORAGE OF IMDG CODE CLASS 4

40.0 Definition

40.1 Class 4.1 Flammable Solids

The substances in this class are solids which; under conditions encountered in transport are readily combustible or may cause or contribute to fire through friction, selfreactive substances (solids and liquids) which are liable to undergo a strongly exothermic reaction, solid desensitized explosives which may explode if not diluted sufficiently.

- 40.2 Class 4.2 Substances liable to spontaneous combustion.

The substances in this class are substances (solids and liquids) which are liable to spontaneous heating under normal conditions encountered in transport, or to heating up in contact with air, and being then liable to catch fire.

- 40.3 Class 4.3 Substances, which, in contact with water emit flammable gases.

The substances in this class are substances (solids and liquids) which, by interaction with water, are liable to become spontaneously flammable or to give off flammable gases in dangerous quantities.

Precautions and Handling measures for IMDG Code Class 4.1

- 41.0 The Owner/Agent shall strictly abide by the instructions for handling of these goods as given by the Competent Authority.
- 42.0 Care shall be taken to ensure that the packages are not damaged during the handling. This cargo should not be dropped, bumped, rolled or otherwise mishandled.
- 43.0 Particular care shall be taken that there is no spillage of this cargo during handling. In the event of spillage, it shall be disposed of in a safe manner as prescribed by the Competent Authority.

- 44.0 Under no circumstances, any vehicles or machineries or other cargo be allowed to roll over these spillage of flammable solids.
- 45.0 It is particularly important to ensure that at every stage during handling/storage or transporting such cargo is handled away and at safe distance from other cargoes, as may be prescribed by the Competent Authority.

Precautions and Handling measures for IMDG Code

Class 4.2

- 46.0 Regulations from 41.0 to 45.0 are applicable to this class also. In addition, they will be subjected to the following restrictions.
- 47.0 If packed in hermetically sealed condition throughout the period, they can be allowed to remain within the Port area.
- 48.0 Flammable solids or substances liable to spontaneous combustion shall be transit stored in small stacks either inside the hazardous cargo shed or in any other premises indicated in the instructions covering individual consignments of such goods. Proper space shall always be left between such small stacks and between the stacks and the walls all around. Such stacks shall be inspected regularly and periodically by the concerned for signs of overheating. In case any stack is found to be warmer than normal, such stacks shall be broken up, cooled by aeration and re-stacked in a safe manner.

Precautions and Handling measures for IMDG Code

Class 4.3

- 49.0 Regulations from 41.0 to 45.0 shall be applicable to this class also. In addition, they shall be subjected to the following restrictions.
- 50.0 Flammable solids or substances which in contact with water emit flammable gases shall not be handled whenever it is raining.
- 50.1 During all stages of handling and transit storage of such substances, all possible precautions shall be taken to prevent such substances getting wet or exposed to damp air.
- 51.0 As some substances are liable to react dangerously even with the damp air, any container holding this cargo which is damaged or broken shall be handled as directed by the Competent Authority and he may take such action as is considered necessary for ensuring safety. He may even order the destruction of the container, if he deems it necessary.

IMDG CODE CLASS 5

52.0 Definition

52.1 Class 5.1 Oxidising Substances (Agents)

These are substances which, although in themselves not necessarily combustible, may,

generally by yielding oxygen, cause, or contribute to, the combustion of other material.

52.2 Class 5.2 Organic Peroxides

Organic substances which contain the bivalent O-O structure and may be considered derivatives of hydrogen peroxide, where one or both the hydrogen atoms have been replaced by organic radicals. Organic peroxides are thermally unstable substances, which may undergo exothermic self-accelerating decomposition. In addition, they may have one or more of the following properties:

- be liable to explosive decomposition
- burn rapidly
- be sensitive to impact or friction
- react dangerously with other substances
- cause damage to the eyes.

- 53.0 The Owner/Agent shall strictly abide by the instructions for handling of these goods as given by the Competent Authority.

Precautions and Handling measures for IMDG Code

Class 5.1

- 54.0 All the substances in this class have the property of giving of oxygen when involved in fire and mixture of these substances are readily ignited with combustible material sometimes even by friction or impact. Therefore, all the Boats, all the places or the shore or warehouses shall be thoroughly cleaned prior to receipt of this cargo.
- 55.0 Any damaged or leaky container shall be moved safely and the instructions of the Competent Authority shall be followed strictly.
- 56.0 In the event of spillage of this cargo, such spillage should be swept separate and disposed oil as prescribed by the Competent Authority. Under no condition should this spillage be rolled over by weight of any type.
- 57.0 These substances should particularly be well separated from acids, since they are liable to give off toxic gases on contact.
- 58.0 It is necessary to thoroughly clean the barges and all the areas where this cargo was stored after its delivery or disposal.
- 59.0 Special restrictions on Ammonium Nitrates - Ammonium Nitrate to be brought to the Port should be certified to be free from organic impurities, as specified by the IMDG Code. A certificate of purity issued by the Compete Government Authority in the country of manufacture shall have to be produced before such cargo or vessel is allowed inside the docks. These rules shall not apply to Ammonium Nitrate of fertilizer grade.

**Precautions and Handling measures for IMDG
Code Class 5.2**

- 60.0 Receptacles of liquid organic peroxide shall be handled in dead upright position. Even slight tilt may lead to spillage. This liquid is liable to react violently with the metal of the receptacle or any other substance they contact, which may lead to violent explosion.
- 61.0 Other organic peroxides (not in the liquid state) shall be handled with utmost care. Using landing cushions if necessary thus avoiding frictional contact.
- 62.0 If any package/receptacles containing peroxides is discovered to be damaged or in a leaky condition, it shall be drenched copiously with water and disposed off in a manner as directed by the Competent Authority. Re-packing or repair of the damaged receptacle is not permitted in the Port area.
- 63.0 While these goods are being handled, the fire hoses should be laid out with the fire crews in readiness throughout.
- 64.0 Contact of organic peroxide with the eye shall be avoided and when working this type of cargo, necessary protective equipment is to be provided and used.
- 65.0 At all times, the cargo should be kept away from sparks, flame or any other source of ignition.
- 66.0 These cargo packages shall be protected from direct sun's rays and stores and handled in well ventilated places.
- 67.0 Organic peroxides shall be handled separately and isolated from any other cargo.
- 68.0 This cargo shall only be handled during the daylight hours.

IMDG CODE CLASS 6

69.0 Definition

69.1 Class 6.1 Poisonous (toxic) substances

"Toxic" has the same meaning as "Poisonous". These are substances liable either to cause death or serious injury or to harm human health if swallowed or inhaled, or by skin contact.

69.2 Class 6.2 Infectious substances

These substances which are known or reasonably expected to contain viable micro-organisms (including bacteria, viruses, rickettsiae, parasites, fungi) or other agents, which can cause disease in animals or humans.

- 70.0 The Owner/Agent shall strictly abide by the instructions for handling of these goods as given by the Competent Authority.

Precautions and Handling measures for IMDG Code Class 6.1

- 71.0 Receptacles of poisonous substances brought in the Port shall remain in a hermetically sealed or

effectively dosed condition so as to prevent escape therefrom of vapours/liquids/ dust.

- 72.0 The receptacles/containers should be inspected prior to receipt of the barge and at all times, they are being handled. Any leaky or damaged receptacle should be separated immediately and instructions of the Competent Authority shall be followed.
- 73.0 The substance of this class which has a flash point below 61°C (141 ° F) is also a flammable liquid by definition. Therefore, while handling such type of substance, all care shall be exercised as recommended for flammable liquid and they should be stored in a cool and well ventilated place.
- 74.0 All receptacles containing such cargo shall be handled in an upright position to prevent spillage.
- 75.0 These substances could be poisonous either by skin absorption, ingestion or inhalation. Therefore, labourers or any person involved in handling these substances shall be protected by appropriate protective equipment as prescribed by the Competent Authority.
- 76.0 The receptacles of such substances should be handled well separated from the other cargo.
- 77.0 If and when these substances are stored in open, they should be properly covered with weighted tarpaulin, inspected frequently to detect any leakages and the stack should be prominently marked with appropriate IMDG lable, so that the people working in the vicinity can identify it as poisonous goods. However, these substances with a flash point of less than 61°C (141° F) shall be stored in a cool and well-ventilated place as any flammable liquid is stored.
- 78.0 Disposal - In case of damage or spillage during transit or storage, the disposal of its contents and all other goods contaminated by a spillage shall be determined by the Competent Authority.
- 78.1 The concurrence or Advice of the Port Health Officer or the Customs Authorities or any statutory Authority shall be obtained before deciding mode of disposal.
- 79.0 Action to be taken in the event of any accident involving poisonous substances
In the event of any receptacle/case of any poisonous substance getting accidentally damaged/leaky during handling or transit storage. The Inspector of Dangerous Goods or Responsible person shall:
- 79.1 Notify the Competent Authority immediately.
- 79.2 Direct the person in the vicinity to move away to a safe area.
- 79.3 Arrange to send persons who are suspected to

have been contaminated with the poison to the Port Trust Hospital after giving First Aid if practicable. A responsible employee of the concerned section shall accompany these persons to convey to the Duty Doctor information regarding the name and known properties of the poison involved in the accident.

79.4 Suitable action shall be taken for de-contaminating the area of spillage.

79.5 Goods contaminated by the spilt poison shall be isolated for disposal as stipulated.

80.0 De-Contamination

In case of spillage involving poisonous substance of this class, particularly liquid pesticides, de-contamination measures appropriate to the substance concerned shall be carried out under competent supervision.

80.1 No person shall be allowed to enter any hold of a vessel or compartment where there is any reason to suspect leakage of some substances of this class unless the Master or the responsible officer has taken all the safety measures and satisfied that it is safe to enter the same.

80.2 Emergency entry into the hold under other circumstances shall be undertaken by the trained staff, wearing self-contained breathing apparatus and other necessary protective clothing.

Precautions and Handling measures for IMDG Code Class 6.2

81.1 Any Owner/Agent who wishes to handle infectious substances shall give the Competent Authority all the relevant particulars of the goods to be handled well in advance. This should be enough for the Port Authorities to seek the expert advice and help so that these goods can be handled abiding by all the restrictions as may be determined by such experts.

81.2 Consigners of infectious substances, being responsible for the packing of these substances, shall ensure that the packages arrive in port or their destination in sound condition and present no hazard to persons or animals during conveyance.

81.3 Whenever occasions arises to handle such substances or to pass through this port, the IMDG code guidelines and rules shall apply.

81.4 It is the responsibility of the consignee/consignor to obtain necessary licence for the import/export of infectious substances from the competent authority. Upon receipt of known or suspected high-risk infectious substances of human or animal origin, the consignee/consignor shall immediately acknowledge receipt to the consignor/consignee by most rapid of communication available to him.

IMDG CODE CLASS 7

82.0 Definition

Radioactive material means any material containing radionuclides where both the activity concentration and total activity in the consignment exceeds the values specified in the IMDG Code.

Precautions and Handling measures for IMDG Code Class 7

83.0 Handling of Radioactive substances shall be permitted only against special permits issued by the Directorate of Radiation. Protection, Bhabha Atomic Reserch Centre (BARC) and general precautions as are indicated by the said authority.

84.0 They shall submit to the Competent Authority copies of the hazardous cargo manifest together with the copies of the BARC instructions sufficiently in advance to enable the Port to make arrangements to receive this cargo.

85.1 All radioactive materials must be declared as such in all transport and port documents.

85.2 Consignees of radioactive substance received shall depute a technically qualified person to supervise handling of such consignment. He shall work in collaboration with the Inspector of Dangerous goods during handling and transit-storage. However, competent person is responsible to see that the recommendations of BARC are carried out.

IMDG CODE CLASS 8

86.0 Definition

Corrosive substances means substances which, by chemical action, will cause severe damage when in contact with living tissues or, in the case of leakage, will materially damage, or even destroy, other goods or the means of transport.

87.0 The Owner/Agent shall strictly abide by the instructions for handling of these goods as given by the Competent Authority.

Precautions and Handling measures for IMDG Code Class 8

88.0 This cargo shall be handled well separated from the cargo other class and special care should be taken to insure that acids and alkalis are well separated.

89.0 The receptacles/carbuoys shall be handled with extreme care and always in an upright position to prevent any damage or spillage.

90.0 Any damaged receptacles/carbuoys shall be isolated and moved further under instructions of the Competent Authority and special precautions shall be taken to avoid direct skin contact.

91.0 The goods in this class with flash point of less than 61°C shall be flammable goods and as such

SCHEDULE - I

all the necessary precautions shall be taken during the handling and storage.

- 92.0 These goods shall be stored in covered spaces and when this is not possible they shall be stored in the open on a covered platform, well segregated from other cargoes and well marked.
- 93.0 Whenever any receptacle/carbuoys handling corrosive substances get damaged, they shall be rendered harmless or destroyed as directed by the Competent Authority.
- 94.0 In the event of an accident.
- 94.1 All the persons in the vicinity shall be directed to move away to a safe area.
- 94.2 The affected persons shall be given first aid and thereafter immediately transferred to a hospital or other place of treatment.
- 94.3 Specialised medical aid shall be summoned and
- 94.4 The Competent Authority shall be notified forthwith.
- 95.0 The Competent Authority shall organise suitable action for de-contaminating the area of spillage as well as all the articles contaminated by the spilt corrosive.

IMDG CODE CLASS 9**96.0 Definition**

It includes substances and articles, which, during transport, present a danger not covered by other classes.

Precautions and Handling measures for IMDG Code Class 9

- 97.0 While giving the clearance for such substances, the Competent Authority shall carefully consider the characteristic properties and known hazards of such substances and shall stipulate such precautionary measures as may be necessary for ensuring safety during their handling and storage.
- 98.0 Repeal and Savings
- On commencement of these regulations, the Transport, Handling and Storage of Dangerous Goods in the Port of Bombay Regulations, 1994 stands repealed.
- Provided that—
- (a) such repeal shall not affect the previous operation of the said Regulations or orders or practices or anything done or actions taken thereunder; and
- (b) any proceeding under the said Regulations pending at the commencement of these regulations shall be conducted and disposed of, as far as may be feasible, in accordance with these regulations.

- 1.0 The dangerous goods for the purpose of mode of discharge, handling and storage in the Port of Mumbai are divided into following categories according to the level of risk involved and with reference to IMDG Classification, packaging and stowage.

1.1 Category A**IMDG Code Class**

- 3.1 - All substances of this class
- 3.2 - FP below 10° C
- 4.1 - (Packaging Group I and Stowage Category D)
- 4.2 - (Packaging Group I, II and Stowage Category D & E)
- 4.3 - (Packaging Group I and Stowage Category D)
- 6.1 - (as above and Flash Point below 10°C)
- 8.0 - (as above and Flash Point below (10° C)

To be discharged in stream for direct delivery at Haji Bunder. However, the Competent Authority may permit containerized cargo to be discharged/loaded at the open berth in the Docks for direct delivery/loading.

1.2 Category B**IMDG Code Class**

- 2.1 — All substances of this class
- 2.3 — All substances of this class
- 3.2 — Flash Point between 10° C to 23° C
- 4.1 —(Packaging Group II and Stowage Category C and E)
- 4.2 —(Packaging Group I, II and Stowage Category D & E)
- 4.3 —(Packaging Group II and Stowage Category C and E)
- 5.1 —(Packaging Group I and Stowage Category D and E)
- 5.2 —(Packaging Group I and Stowage Category D and E)
- 6.1 —Flash Point between 10° C to 23° C
- 7.0 —All substances of this class
- 8.0 —Flash Point between 10° C to 23° C

To be discharged in stream for direct delivery at Haji Bunder. Containers carrying cargo in this category may be permitted to be landed in the docks for direct removal to Haji Bunder for storage and delivery.

1.3 Category C**IMDG Code Class**

- 2.2 —All substances of this class
- 3.3—(Flash Point between 23° C to 61° C)
- 4.1—(Packaging Group III and Stowage Category A and B)
- 4.2—(Packaging Group II and III and Stowage

Category A, B and C)

4.3—(Packaging Group III and Stowage Category A and B)

5.1—(Packaging Group II and III and Stowage Category A, B and C)

5.2—(Packaging Group II and Stowage Category A, B and C)

6.1—(Packaging Group I and II and Stowage Category C, D and E)

8.1—(Packaging Group I and II and Stowage Category C, D and E)

To be permitted to be discharged in the Docks on barges or wharf for direct removal to Haji Bunder for storage and delivery.

1.4 Category D

IMDG Code Class

6.1 - (Packaging Group II and III and Stowage Category A and B)

8.0 - (Packaging Group II and III and Stowage Category A and B)

To be permitted to be discharged in the Docks for storage and delivery, subject to such conditions as may be specified by the Competent Authority for handling and storage.

2.0 Responsibility of the Owner/Agent:

The Owner/Charterer/Agent or consignees shall make true and correct declaration of the dangerous goods being carried by the vessels and thereafter obtain prior clearance from the Inspector of Dangerous Goods regarding the mode of handling of the dangerous goods prior to the vessel's arrival in the Port. Even when the vessel is carrying Category 'C' or 'D' type cargo, where vessels are allowed to come into the docks, prior permission will have to be obtained failing which the vessel may be refused dock entry.

3.0 Responsibility of Ship's Master:

The Ship Master shall make correct and true declaration of dangerous goods on the ship to the Pilot prior to vessel's berthing in stream or in docks.

4.0 Responsibility of Barge Owner :

4.1 Barges carrying dangerous goods shall not mix different classes of cargoes, which are incompatible and also will maintain sufficient segregation between classes when carrying more than two classes, which may be compatible. In every case, the instruction as given in by the Inspector of Dangerous Goods or the Competent Authority is complied with.

4.2 Surface area of barges/lighters carrying dangerous goods should be of non-friction and non-sparking type.

4.3 Lighting of naked lights or open flames on barges carrying dangerous goods at Haji Bunder is strictly prohibited.

4.4 A safe distance of 9 meters (30 feet) should be maintained between two barges berthed along side at Haji Bunder.

4.5 Barges will not be Double-Banked at Haji Bunder.

4.6 Overnight stay of barges/lighters at Haji Bunder is prohibited. They can, however come alongside with the prior permission of Shed Superintendent on duty to enable him to make adequate arrangement in time to receive the barges and ensure enforcement of prescribed procedure regarding unloading during day light hours.

4.7 The Assistant Commissioner (Port) will be responsible to see that the provisions of 4.4 to 4.6 above are complied with.

5.0 The vessels carrying goods under Category 'A' or any other category of dangerous goods, in container for other ports are allowed to retain these cargoes on board. Similarly, when the cargo is in packages for other Port in Category A, B, C and D, these cargoes also may be retained on board. However, in all cases of transit cargoes, the Owner/Agent will make the true and correct declaration to the Inspector of Dangerous Goods and he shall abide by such precaution as may be prescribed by the Inspector. The Master of the incoming vessel shall also make a correct and true declaration of the dangerous cargo in transit to the Pilot.

SCHEDULE - II

APPLICATION FORM FOR HANDLING OF DANGEROUS GOODS

Name and address of the Owner/Agent of the Vessel.

To,

The Inspector of Dangerous Goods,

.....Port Trust,

.....

Sir,

Ref: Name of the Ship and Voyage No.

Due Date

The above vessel is expected to arrive at this Port from(Port) on (date).

2. The vessel will be carrying following dangerous goods as shown in attached Dangerous Goods list for discharge at this Port.

3. The vessel also carries the following dangerous goods as transit cargo for the next port/s of call as shown in separate list.

4. We propose to load following dangerous goods as shown in the attached Dangerous Goods list (Export), on vessel.

5. Please issue necessary instructions for handling and storage of these cargoes.

Thanking you

Yours faithfully,

(Name) Vessel Agent/Owner

Encl.: (1) Dangerous Goods list (Import)

(2) Dangerous Goods list (Export)

(3) List of Transit Cargo, if on-board.

SCHEDULE - III

SHIP'S CHECKLIST FOR DANGEROUS GOODS

Ship's Name

Port

Berth

Date

Instruction of Completion

The safety of operations requires all the questions to be answered in the affirmative. If an affirmative answer is not possible, the reason should be given.

Serial No.	Remark
1	2
1.	Is the vessel securely moored?
2.	Is there an effective duckwatch in attendance on board?
3.	Is the ship-shore communication system operative?
4.	Are fire hoses and fire fighting equipment ready for immediate use?
5.	Are sea and overboard discharge valves, when not in use, closed, so that the pollutants are not discharged overboard?

1	2
6.	Are "NO SMOKING" signs prominently displayed in work area and smoking requirements being observed?
7.	Are the requirements for the use of galley and other cooking appliances being observed?
8.	Are naked light requirements being observed?
9.	Is the personal protective gear available for use by the work force?
10.	Is the work area properly illuminated for the purposes of carrying on the work?
11.	Is the handling equipment properly tested and certified and suitable for use?
12.	Are you ready to implement the EMS plan as prescribed for the cargo?
13.	Do you have the necessary antidotes as prescribed by MF AG Code?
14.	Are repairs involving hot work in the vicinity of the work place stopped?
15.	Are the containers, packages, carbuoys, bottles or drums or any other means of packing and, free of damage, free of leakage and otherwise safe for purpose?

MASTER

Footnote: No vessels will commence handling of dangerous goods unless the checklist is signed by the master. In addition, if any of the answers is in the negative permission of the Competent Authority, is required prior to starting handling of dangerous goods operations.

[F. No. PR-16014/1/2004-PG]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.

682 91707-7